This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 02 सितम्बर, 2026/11 भाद्रपद, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1-27/2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन)**

विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 14) जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 15 का संशोधन।
3. धारा 34 का संशोधन।
4. धारा 54 का संशोधन।

2026 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसी सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 15 का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 15 की उप–धारा (3) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

> ''(ख) प्रदाय के प्रभावी होने जाने के पश्चात, यदि ऐसी छूट के लिए प्रदायकर्ता द्वारा कोई नामे नोट जारी किया गया है और इनपुट कर प्रत्यय जिसे ऐसी छूट माना गया है, को धारा 34 के उपबन्धों के अनुसार प्रदाय के प्राप्तिकर्त्ता द्वारा उलट दिया गया है।''।

3. **धारा 34 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (1) में, ''दोनों में कमी पाई जाती है'' शब्दों के पश्चात् ''या जहाँ धारा 15 की उप–धारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छूट प्रदान की गई है'' शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. **धारा 54 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उप–धारा (6) में, ''माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय'' शब्दों के पश्चात् ''या उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ii) के अधीन अनुज्ञात अनुयोजित इनपुट कर प्रत्यय'' शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगें; और

(ख) उप–धारा (14) में, ''उप–धारा (5) या उप–धारा (6)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंको के पश्चात् '',ऐसे मामले, जिनमें भारत से कर का संदाय करके निर्यात किए गए माल के कारण में प्रतिदाय का दावा किया गया हो, से अन्यथा,'' चिन्ह, शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे।

––––––

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवा या दोनों के राज्यन्त्रिक प्रदाय पर कर के उग्रहण और संग्रहण तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुशंगिक विषयों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की तर्ज पर उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। माल और सेवा कर अधिनियम केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगभग समस्त अप्रत्यक्ष करों को समाविष्ट करते हुए 'एक राष्ट्र, एक कर दृष्टिकोण सहित अपनी तरह का प्रथम एतिहासिक कर सुधार है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही माल और सेवा कर परिषद् (जी0 एस0 टी0 परिषद) की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर का अधिनियम, 2017 में संशोधन कार्यान्वित कर दिया है। इसलिए सम्पूर्ण देश में समान सुधार करने के आशय से राज्य अधिनियम में तत्स्थानी संशोधन कार्यान्वित करना समस्त राज्यों के लिए आज्ञापक है। अतः सम्पूर्ण देश में एकरूपता लाने के आशय से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख :....................2026

––––––––––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.

2. Amendment of section 15.
3. Amendment of section 34.
4. Amendment of section 54.

Bill No. 14 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows : -

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2026.

(2) Save as otherwise provided in this Act the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 15.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 15, in sub-section (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

> "(b) after the supply has been effected, if for such discount, a credit note has been issued by the supplier and input tax credit as is attributable to such discount has been reversed by the recipient of the supply, in accordance with the provisions of section 34.".

3. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "both supplied are found to be deficient", the words, signs, letter and figures "or where a discount referred to in clause (b) of sub-section (3) of section 15 is given" shall be inserted.

4. Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act,-

(a) in sub-section (6), after the words "supply of goods or services or both", the words, signs and figures "or of unutilized input tax credit allowed under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3)" shall be inserted; and

(b) in sub-section (14), after the words, signs and figures "sub-section (5) or sub-section (6)", the signs and words ", other than cases where refund of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax," shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted on the analogy of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 to make provision for levying and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto. The Goods and Services Tax Act is a landmark tax reform with first of its kind, one nation, one tax approach, aimed at subsuming almost all indirect taxes at the Central and State level. The Central Government has already carried out amendments in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 on the recommendations of the Goods and Services Tax Council (GST Council). Therefore, in order to have a uniform threshold across the Country, it is mandatory for all the State Governments to carry out corresponding amendments in the State Act. Hence, it has become expedient to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 in order to have uniformity across the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA :
THE……………., 2026

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1-24/2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **शिमला की सड़को का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 13)** जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्याक 13.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. धारा 6 का संशोधन।
3. धारा 7 का संशोधन।

2026 का विधेयक संख्याक 13.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026.

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 02) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2026, है।

(2) यह 30 जुलाई, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 6 का संशोधन.**——शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उप–धारा (3) में, "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु पंद्रह हजार रुपए की फीस प्रति वर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी," शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु छह माह की अवधि के लिए चार हजार पांच सौ रुपए या आठ हजार रुपए प्रतिवर्ष, प्रति सड़क फीस प्रभारित की जाएगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. **धारा 7 का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3) में, "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु पांच हजार रुपए की फीस प्रतिवर्ष, प्रति सड़क प्रभारित की जाएगी" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "प्राइवेट यान के लिए पास प्रदान करने हेतु छह माह की अवधि के लिए दो हजार रुपए या तीन हजार रुपए प्रतिवर्ष, प्रति सड़क फीस प्रभारित की जाएगी:" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 को लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, विशेष रूप से शिमला के माल रोड़ तथा अन्य विनियमित सड़कों के महत्व और पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यानों तथा सड़क उपयोक्ताओं के आवागमन को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

उपर्युक्त उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विनियामक ढांचा जनता की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बना रहे, राज्य सरकार ने व्यापक लोकहित में, "सीलबंद" और "प्रतिबंधित" सड़कों के लिए अनुज्ञापत्रों पर लागू फीस की संरचना को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक समझा है। फीस की दरों में कमी करने का उद्देश्य सड़क उपयोक्ताओं को राहत प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर विनियामक अपेक्षाओं के कारण अनुचित वित्तीय भार न पड़े।

प्रस्तावित उपाय का उद्देश्य यानों के आवागमन के प्रभावी विनियमन तथा युक्तियुक्त और वहनीय अनुज्ञापत्र प्रभार की वैध आवश्यकता के बीच समुचित संतुलन बनाए रखना है। इससे शिमला में पैदल यात्रियों और यानों की सुरक्षा, सुविधा तथा सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करते हुए सड़क उपयोक्ताओं को अधिक सुविधा प्राप्त होगी।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक था, अतः हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन 29 जुलाई, 2026 को शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश संख्यांक 2) प्रख्यापित किया गया था, जिसे 30 जुलाई, 2026 को अधिसूचना संख्या एलएलआर–डी (6)–13/2026–विधान तारीख 29 जुलाई, 2026 द्वारा हिमाचल प्रदेश, राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्यमंत्री।

शिमला :

तारीख :

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2026.

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2026.

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 6.
3. Amendment of section 7.

Bill No. 13 of 2026.

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2026.

(2) This Act shall be deemed to have come into force on the 30th day of July, 2026.

2. Amendment of section 6.—In section 6 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (3), for the words, signs and figures "A fee of Rs. 15,000/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum;", the words, signs and figures "A fee of Rs. 4,500/- for a period of six months or Rs. 8,000/- per annum shall be charged for the grant of a pass for a private vehicle, per road:" shall be substituted.

3. Amendment of section 7.— In section 7 of the principal Act, in sub-section (3), for the words, signs and figures "A fee of Rs. 5,000/- shall be charged for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum;", the words, signs and figures "A fee of Rs. 2000/- for a period of six months or Rs. 3,000/-per annum shall be charged for the grant of a pass for a private vehicle, per road:" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 was enacted with the objective of regulating the movement of vehicles and road users in the interest of public safety and convenience, particularly having regard to the significance of Shimla's Mall Road and other regulated roads and the need to ensure the safety and convenience of pedestrians.

With a view to furthering the aforesaid objectives and ensuring that the regulatory framework remains responsive to the needs of the public, the State Government has considered it necessary, in the larger public interest, to rationalise the fee structure applicable to permits for "sealed" and "restricted" roads. The reduction in the rates of fees is intended to provide relief to road users and ensure that the regulatory requirements do not place an undue financial burden upon persons requiring such permits.

The proposed measure seeks to maintain an appropriate balance between effective regulation of vehicular movement and the legitimate need for reasonable and affordable permit charges. It will also facilitate greater convenience to road users while continuing to secure the safety, convenience and orderly movement of pedestrians and vehicles in Shimla.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendment in "The Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 was required urgently, therefore, The "Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Ordinance, 2026 (Ordinance No. 2 of 2026) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh on 29th July, 2026, which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 30th July, 2026 *vide* Notification No. LLR-D (6)-13/2026-Legn, dated 29th July, 2026. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA :

DATE :

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–22 / 2026.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11)** जो आज दिनांक **1 सितम्बर, 2026** को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल),
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 122 का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

2026 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा, द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 है।

(2) यह 06 मई, 2026 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 122 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 में ,–

(क) उप–धारा (1) में खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ङ) यदि उसने सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी या ग्राम शामिलाती भूमि की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है या उस अधिक्रमण का हिताधिकारी है जबकि उस तारीख से जिससे उसको बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "हिताधिकारी" में अधिक्रान्ता के दादा, दादी, पिता, माता, पति–पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री और पुत्र–वधु सम्मिलित है;" और

(ख) उप–धारा (2) में (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(घ) यदि उसने सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी या ग्राम शामिलाती भूमि की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है या उस अधिक्रमण का हिताधिकारी है जबकि उस तारीख से जिससे उसको बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

स्पष्टीकरण.–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "हिताधिकारी" में अधिक्रान्ता के दादा, दादी, पिता, माता, पति–पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री और पुत्र–वधु सम्मिलित है ; या"

3. **निरसन और व्यावृत्तियां.**——(1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

——————

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 की उप–धारा (1) के खंड (ङ) तथा उप–धारा (2) के खंड (घ) में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति क्रमशः पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए तथा पंचायत के पदाधिकारी के रूप में पद धारण करने के लिए निरर्हित होगा, यदि उसने स्वयं या उसके कुटुंब के किसी सदस्य ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी समिति की किसी भूमि

पर, या उनकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि पर अतिक्रमण किया है, जब तक कि उस भूमि से उसके या, यथास्थिति, उसके कुटुंब के किसी सदस्य के बेदखल किए जाने अथवा अतिक्रमणकारी न रहने की तारीख से छह वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

अधिनियम के अधीन "कुटुंब का सदस्य" पद में दादा, दादी, पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र या पुत्रों तथा अविवाहित पुत्री को सम्मिलित किया गया है। तथापि, किसी व्यक्ति की पुत्र–वधु को "कुटुंब का सदस्य" की विद्यमान परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। विगत निर्वाचनों में ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं, जिनमें अतिक्रमण के कारण निरर्हित व्यक्तियों ने अपनी पुत्र–वधु को पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने या पंचायत के पदाधिकारी के रूप में पद धारण करने के लिए प्रत्याशी बनाया है। चूंकि पुत्र–वधु अतिक्रमणकारी के परिवार की सदस्य होने के साथ–साथ ऐसे अतिक्रमण का हिताधिकारी भी हो सकेगा, अतः ऐसे कुटुंब के सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में प्रत्याशी बनने से रोकने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की उक्त धारा में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित था। मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम में उपर्युक्त संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित करके किए जाने का निर्णय लिया गया।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में उक्त संशोधन तत्काल किया जाना आवश्यक था, अतः महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) तारीख 06–05–2026 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एलएलआर–डी (6)–12 / 2026 विधान, तारीख 6 मई, 2026 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई–गजट) में 6 मई, 2026 को प्रकाशित किया गया था। अतः उक्त अध्यादेश को एक नियमित अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक, उक्त अध्यादेश को उपांतरण सहित, प्रतिस्थापित करने की पूर्ति के लिए है।

(अनिरूद्ध सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : 2026

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 11 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (2nd AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 122.
3. Repeal and savings.

Bill No. 11 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (2nd AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (2nd Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 6th day of May, 2026.

2. Amendment of section 122.—In section 122 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994,-

(a) in sub-section (1), for clause (e), the following shall be substituted, namely :—

"(e) if he has encroached upon or is a beneficiary of the encroachment upon any land belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society or a village common land unless a period of six years has elapsed since the date on which he is ejected therefrom or he ceases to be the encroacher.

Explanation.—For the purpose of this clause, the expression "beneficiary" shall include the grand-father, grand-mother, father, mother, spouses, son, unmarried daughter and daughter-in-law of the encroacher;"; and

(b) in sub-section (2), for clause (d), the following shall be substituted, namely :—

"(d) if he has encroached upon or is a beneficiary of the encroachment upon any land belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society or a village common land unless a period of six years has elapsed since the date on which he is ejected therefrom or he ceases to be the encroacher.

Explanation.- For the purposes of this clause, the expression "beneficiary" shall include the grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son, unmarried daughter and daughter-in-law of the encroacher;".

3. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2026 (Ordinance No. 1 of 2026) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 122 (1) (e) and 122 (2) (d) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1994 provides that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being an office bearer of a Panchayat respectively, if he or any of his family member(s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

The expression "family member" under the Act includes grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter. However, the daughter-in-law was not included within the definition of "family member". In the past elections there have been instances where persons who were disqualified on account of encroachment have promoted their daughter-in-law to be elected as representatives for being chosen as, or for being office bearer of a Panchayat. Since a daughter-in-law may be a beneficiary and a member of a family of the encroacher, therefore, in order to debar such members to contest the elections for the Panchayati Raj Institutions, necessary amendment in the provision of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 was to be carried out in the said section. Keeping in view, the urgency of the matter, it was decided to bring the above amendment in the Act *ibid.* by promulgation of an Ordinance.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the aforesaid amendment in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act,1994 was to be made urgently, as such, the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2026 (H.P. Ordinance No. 1 of 2026) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh on 06-05-2026 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 6th May, 2026 *vide* notification No. LLR-D (6)-12/2026-Legn, dated 6th May, 2026. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance with modification.

(ANIRUDH SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

THE , 2026.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–23 / 2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026**

(2026 का विधेयक, संख्यांक 15) जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

2026 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम.**——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 में, "सात" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 समस्त पात्र व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सात हजार रुपए के मूल्य की युद्ध जागीर प्रदान करने का उपबन्ध करती है। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण, समस्त पात्र व्यक्तियों के लिए युद्ध जागीर के मूल्य को सात हजार रुपए से बढ़ाकर दस हजार रुपए वार्षिक किया जाना आवश्यक समझा गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 में उपर्युक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल,
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः

तारीखः 2026

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.

Bill No. 15 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 (Act No. 9 of 1972).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh War Awards (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972, for the words "seven thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 (Act No. 9 of 1972) provides for the grant of war jagirs of the value of Seven thousand rupees per annum to all the eligible persons. Due to sharp increase in the prices, it has been felt necessary to enhance the value of war jagirs from seven thousand rupees to ten thousand rupees annually for all the eligible persons. In view of the above, it has been decided to make suitable amendments in section 3 of the Act *ibid*. This has necessitated amendment in the Act, *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

COL. (DR.) DHANI RAM SHANDIL,
Minister-in-Charge.

SHIMLA

THE 2026.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 01 सितम्बर, 2026

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–26 / 2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2026 का विधयेक संख्यांक 12.

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधयेक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।

2. अनुसूची I–क का प्रतिस्थापन।

2026 का विधेयक संख्यांक 12.

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. **अनुसूची I–क का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम के साथ संलग्न "अनुसूची 1–क" के स्थान पर निम्नलिखित "अनुसूची 1–क" प्रतिस्थापित की जाएगी।

"अनुसूची 1–क

कतिपय लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें

टिप्पण.– अनुसूची 1–क में अनुच्छेद इस प्रकार संख्यांकित है ताकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 से उपाबद्ध अनुसूची में वस्तुओं जैसे होंः

अनुच्छेद संख्या	लिखतों का विवरण	स्टाम्प शुल्क की दरें
1.	**ऋण की अभिस्वीकृति.**–किसी ऋण की रकम या मूल्य में बीस रुपए से अधिक की, जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से, किसी बही में (जो बैंककार की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य निमित्त लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया होः परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का अनुबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।	एक हजार रुपए तक के मूल्य के लिए दस रुपए और एक हजार से अधिक मूल्य के लिए एक सौ रुपए।
2.	**प्रशासन–बन्धपत्र.**–सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 6 या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 29, 375 और 376 के अधीन दिए गए बन्धपत्र सहित–प्रत्येक मामले में।	एक हजार रुपए तक के बांड मूल्य के लिए एक सौ रुपए और एक हजार से अधिक के मूल्य के बांड के लिए बांड के

<table>
<tr><td></td><td></td><td>मूल्य का तीन प्रतिशत जमा एक सौ रुपए</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>दत्तक विलेख.—अर्थात् कोई लिखत वसीयत (विल) से भिन्न जो दत्तक—ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक—ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।

अधिवक्ता, अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि (संख्या 30) देखें।</td><td>दो हज़ार रुपए।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>शपथ—पत्र.—जिसके अन्तर्गत, उन व्यक्तियों के मामले में, जो शपथ लेने के बजाए प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।

छूटें

लिखित रूप में शपथ—पत्र या घोषणा जब वह—

(क) सेना अधिनियम, 1950; या वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में हों;

(ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने या उपयोग में लाए जाने के तत्काल प्रयोजन के लिए; या

(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए, की गई है।</td><td>एक सौ रुपए।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>करार या करार का ज्ञापन.—यदि विनिमय—पत्र के विक्रय या सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में शेयर के विक्रय से सम्बंधित है; या उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है।

छूटें

करार या करार का ज्ञापन—

(क) जो अनन्यतः माल या वाणिज्या के विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है, और संख्या 43 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है;

(ख) जो केंद्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किए गए हैं जो किसी उधार के लिए हैं या उससे सम्बंधित हैं।

पट्टे के लिए करार.—पट्टा (संख्या 35) देखें।</td><td>(क) विनिमय पत्र के विक्रय के करार संबंधित एक सौ रुपए।

(ख) भवन निर्माण (विकास करार) से संबंधित करार में बाजार मूल्य का दो प्रतिशत जो अधिकतम दस हजार तक का होगा ।

(ग) एक हजार रुपए और स्थावर संपत्ति विक्रय दशा में (विक्रय करार) बाजार मूल्य का दो प्रतिशत जो हस्तांतरण के समय स्टाम्प ड्यूटी में समायोजित होगा।</td></tr>
</table>

		(घ) ऋण करारों और पचास हजार रूपए तक के गैर कृषक प्रयोजनों की वित्तीय सेवाओं के लिए दो सौ रुपए। (ङ) यदि अन्यथा उपबंधित नहीं है तो एक हजार रुपए
6.	**हक–विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से सम्बन्धित करार.**–अर्थात् निम्नलिखित से सम्बन्धित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत– ऐसे हक विलेखों या लिखतों का निक्षेप, जिससे किसी भी सम्पत्ति पर विपण्य प्रतिभूति से भिन्न हक का साक्ष्य हो जाता है; या जंगम सम्पत्ति का पण्यम् या गिरवी, जहां ऐसा निक्षेप, पण्यम् या गिरवी, उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है। **छूट** माल के पण्यम् या गिरवी की कोई लिखत, यदि वह अननुप्रमाणित हो। **टिप्पण** **आडमान का करार और स्टाम्प शुल्क का प्रश्न.**–आडमान के संव्यवहार और गिरवी रखने के संव्यवहार के मध्य भिन्नता है। क्योंकि गिरवी रखने के विपरीत, जहां गिरवी रखी गई वस्तुओं (माल) का कब्जा पण्यमदार को संक्रान्त होना चाहिए, वहां आडमान के मामले में ऐसा कब्जा लेनदार को ही संक्रान्त नहीं होता है। वर्तमान मामले में दस्तावेज बैंक के पक्ष में दो अधिकारों का सृजन करने के लिए है, अर्थात् पहला संपत्ति के आडमान से संबंधित तथा दूसरा अटर्नीशिप के सृजन से संबंधित, स्टाम्प अधिनियम की धारा 5 के अधीन दस्तावेज की बाबत 11.50 रुपए कुल स्टाम्प प्रभार्य थे। अतः दस्तावेज सम्यक् रूप से, गिरवी या पण्यम् न होते हुए, स्टाम्पित किया गया है परन्तु आडमान का करार होते हुए, जो स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची–1 के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ङ) द्वारा, प्रतिवादी के अटर्नी के अधिकारों को वादी को वादी पर प्रदत्त करने वाली प्रसंविदा सहित, समाविष्ट है।	(क) बीस हजार तक की रकम के लिए एक सौ रूपए। (ख) बीस हजार से अधिक रकम के लिए पांच सौ रुपए।

	पण्यम् या गिरवी का विलेख.—पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, और उसी तरह से, क्योंकि करार के खण्ड–6 को साधारणतया पढ़ने से भी प्रतीत होता है कि आडमान रखी वस्तुओं (माल) का कब्जा केवल ऋणी के पास ही रहना था, ऐसा होने से, यह विलेख स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची–I के अनुच्छेद 6(2) की रिष्टि को आकृष्ट करने के लिए पण्यम् या गिरवी का विलेख नहीं माना जा सकता है।	
7.	**मुख्तारनामा के निष्पादन में.**—न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति का नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत (विल) न हो, किया गया हो।	एक हज़ार रुपए।
8.	**आंकना या मूल्यांकन,**जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जा कर अन्यथा किया गया है , प्रत्येक मामले में। **छूटें** (क) आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तनद्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है; (ख) भाटक के रूप में भूमि स्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना।	(क) एक सौ रुपए, जहां रकम एक हजार रुपए से अधिक नहीं है। (ख) पांच सौ रुपए किसी अन्य मामले में।
9.	**शिक्षुता विलेख.**—जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया है किन्तु जो शिक्षुता नियमावली (संख्या 11) नहीं है। **छूट** **शिक्षुता–लिखत,** जो शिक्षु अधिनियम, 1850 (1850 का 19) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की गई है या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया है।	जैसा अनुसूची–1 में है।
10.	**कंपनी के संगम–अनुच्छेद,** प्रत्येक मामले में।	(क) दो हज़ार रूपए जहां कंपनी की कोई शेयर पूंजी नहीं है।

	छूट किसी संगम के अनुच्छेद, जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाए गए हैं और जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं। कंपनी का संगम ज्ञापन (संख्या 39) भी देखें।	(ख) जहां कंपनी की अभिहित शेयर पूंजी या अभिवृद्धित शेयर पूंजी है वहां– न्यूतम दो हजार और अधिकतम पांच लाख के अध्यधीन शेयर पूंजी का 0.2 प्रतिशत।
11.	**क्लर्कों की नियमावली** समनुदेशन– यथास्थिति, हस्तान्तरण–पत्र (संख्या 22), अंतरण (संख्या 61) और पट्टे का अंतरण (संख्या 62) देखें। अटर्नी–अटर्नी (संख्या 30) और मुख्तारनाम (संख्या 48) वाली प्रविष्टि देखें। दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार–दत्तक–विलेख (संख्या 3) देखें।	जैसा अनुसूची–1 में है।
12.	**पंचाट.**–अर्थात् वाद के अनुक्रम में, न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निदेश में, मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चिय जो विभाजन का निदेश देनेवाला पंचाट नहीं है, ऐसे पंचाट में यथाउपवर्णित प्रत्येक रकम या सम्पत्ति के मूल्य के लिए।	एक हज़ार रुपए।
13.	**विनियम–पत्र।**	जैसा अनुसूची–1 में है।
14.	**वहन–पत्र,** (जिसके अंतर्गत पारगामी वहन–पत्र आता है)	जैसा अनुसूची–1 में है।
15.	**बंध–पत्र.**–जैसा धारा 2(5) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेन्चर (संख्या 27) नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। प्रशासन–बंधपत्र (संख्या 2), पोत बंधपत्र (संख्या 16), सीमा शुल्क बंधपत्र (संख्या 26), क्षतिपूर्ति बंधपत्र (संख्या 34), जहाजीमाल बंधपत्र (संख्या 56), प्रतिभूति बंधपत्र (संख्या 57) देखें। **छूट** जब बंधपत्र किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाए, तो इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न हुई स्थानीय आय प्रति मास किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी।	प्रतिभूत राशि का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम एक हज़ार रुपए और अधिकतम दस हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

16.	**पोत–बन्धपत्र.–** अर्थात् कोई लिखत, जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर, पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है, जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र–यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके।	प्रतिभूत राशि का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम एक हजार रुपए और अधिकतम दस हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
17.	**रद्द कर देने की लिखत.–**(जिसके अन्तर्गत ऐसी कोई लिखत है, जिसके द्वारा पूर्व में निष्पादित की गई कोई लिखत रद्द कर दी गई है) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। निर्मुक्ति (संख्या 55), व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण (संख्या 58 ख), पट्टे का अभ्यर्पण (संख्या 60), न्यास का प्रतिसंहरण (संख्या 63) भी देखें।	एक सौ रुपए
18.	**विक्रय–प्रमाणपत्र.–** (ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई सम्पत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय धन, "जो भी उच्चतर हो", का 8.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
19.	**प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज.–**जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है।	एक सौ रूपए।
20.	**भाड़े पर पोत लेने की संविदा.–**अर्थात् (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग, भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।	एक सौ रुपए।
21.	**प्रशमन विलेख.–**अर्थात्, किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत, जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तान्तरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन–धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए, चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है।	एक सौ रूपए।

22.	**हस्तांतरण–पत्र.–** धारा 2(10) द्वारा यथा परिभाषित, जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे (संख्या 61) के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है, जहां हस्तान्तरण से, स्थावर सम्पत्ति का विक्रय होता है। **छूट** **प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम.**–1957 की धारा 18 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन। **सह–भागीदारी–विलेख.**–भागीदारी (संख्या 46) देखें। **टिप्पण** **सम्पत्ति का हस्तान्तरण–पत्र.**–निवर्तन और विघटन के मामले में कोई विभेद नहीं हैं। भागीदार, भागीदारी के सम्बद्ध में सहस्वामी के रूप में उसी हैसियत से होगा। वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती भागीदार के पक्ष में, अधिकार त्यागने वाली फर्म द्वारा निष्पादित दस्तावेज, केवल निर्मोचन ही होगा। यह अंतरण नहीं था क्योंकि यह उस भागीदार, जिस का सम्पत्ति में कोई हित नहीं था, के पक्ष में नहीं बनाया गया है। निष्पादित दस्तावेज सम्पत्ति का अंतरण नहीं करता है, अतः यह हस्तांन्तरण पत्र नहीं था।	महिलाओं के लिए : (क) एक करोड़ रुपये तक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 4 प्रतिशत। (ख) एक करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 8 प्रतिशत। न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यधीन तथा दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित। अन्य व्यक्तियों के लिए : (क) चालीस लाख रुपये तक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 6 प्रतिशत। (ख) चालीस लाख रुपये से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 8 प्रतिशत। न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यधीन तथा दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित। परंतु यह कि, बिक्री विलेख के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर, यदि वही क्रेता और विक्रेता ऐसे बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, जिसमें बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि पूर्व विलेखों को सम्मिलित कर, यथास्थिति, एक करोड़ रुपये या चालीस लाख

		रुपये से अधिक हो जाती है, तो पूर्व के मामलों सहित सभी मामलों में 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाएगा। परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के अधीन जहां राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण (कन्वेअन्स) की अनुमति प्रदान की जाती है, वहां लिंग की परवाह किए बिना बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का न्यूनतम एक सौ रुपये तथा निकटतम दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित के अध्यधीन, 12 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
23.	**भागिक–पालन के स्वरूप में हस्तांतरण.**–सम्पत्ति अतंरण अधिनियम, 1882 की धारा 53–क के अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र में भागिक–पालन के स्वरूप में स्थावर सम्पत्ति के अंतरण हेतु संविदाएं।	जैसा अनुसूची–1 में है।
24.	**प्रति या उद्धरण.**–जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है, प्रत्येक मामले में, **छूटें** (क) किसी ऐसे कागज–पत्र की प्रतिलिपि, जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि वह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाए या दे। (ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह–विच्छेदों, मृत्यु या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की, या उसमें से किसी उद्धरण की प्रतिलिपि।	दस रुपए

25.	प्रत्येक मामले में, किसी लिखत का, जो शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, का प्रतिलेख या दूसरी प्रति। **छूट** कृषकों को किए गए किसी पट्टे का प्रतिलेख, जब कि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो। **टिप्पण** **क्या संदेय स्टाम्प शुल्क प्रतिलेख पर संदेय है.**—भारतीय स्टाम्प अधिनियम की प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 25 साधारणतया प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर संदेय स्टाम्प शुल्क के बारे में है। अतः किसी अस्टांपित प्रतिलेख को उचित स्टाम्प शुल्क के और उस पर शास्ति के संदाय द्वारा, विधिमान्य बनाया जा सकेगा।	दस रुपए
26.	**सीमा शुल्क बंध–पत्र.**— प्रत्येक मामले में।	(क) पांच हजार तक की रकमों के लिए एक सौ रुपए। (ख) पांच हजार से दस हजार तक की रकमों के लिए पांच सौ रुपए। (ग) दस हजार से अधिक रकमों के लिए एक हजार रुपए।
27.	**डिबेंचर,** (चाहे वह बन्धक डिबेंचर हो या नहीं) विपण्य प्रतिभूति होते हुए जो— (क) पृष्ठांकन द्वारा अंतरणकी पृथक लिखत द्वारा, अन्तरणीय है वहां; (ख) परिदान द्वारा। **स्पष्टीकरण**—"डिबेंचर" पद के अन्तर्गत उससे संलग्न कोई ब्याज के कूपन हैं, किन्तु ऐसे कूपनों की रकम, शुल्क के प्राक्कलन करने में सम्मिलित नहीं की जाएगी। **छूट** ऐसा डिबेंचर, जिसे किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय ने ऐसे रजिस्ट्रीकृत बंधक–विलेख के निबन्धनानुसार निर्गमित किया है, उन डिबेंचरों की, जो उसके अधीन निर्गमित किए जाने हैं, पूरी रकम की बाबत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है, और जिसके द्वारा उधार लेने वाली कंपनी या निकाय, अपनी संपत्ति, पूर्णतः या भागतः	जैसा अनुसूची–1 में है। जैसा अनुसूची–1 में है।

	डिबेंचरधारियों के फायदे के लिए न्यासियों के हवाले करता है; परन्तु इस प्रकार निर्गमित डिबेंचरों की बाबत यह अभिव्यक्त किया गया हो कि वे उक्त बन्धक–विलेख के निबन्धनानुसार निर्गमित किए गए हैं। बंध पत्र (संख्या 15) तथा धारा 8 और 55 देखें। किसी न्यास की घोषणा न्यास (संख्या 63) देखें।	
28.	**माल की बाबत परिदान–आदेश।** **हक विलेखों का निक्षेप,** हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार (संख्या 6) देखें। **भागीदारी का विघटन**–भागीदारी (संख्या 46) देखें।	एक हज़ार रुपए।
29.	**विवाह विच्छेद.**–की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है। **मेहर की लिखत**–व्यवस्थापन (संख्या 58) देखें। **दूसरी प्रति**–प्रतिलेख (संख्या 25) देखें।	एक हज़ार रुपए।
30.	**उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या अटर्नी के रूप में प्रविष्टि.**– अधिवक्ता या वकील या अटर्नी के मामले में। **छूट** किसी उच्च न्यायालय की नामावली में किसी अधिवक्ता, वकील या अटर्नी की प्रविष्टि जब कि वह पहले से ही किसी उच्च न्यायालय में अभ्याविष्ट है।	दो हज़ार रुपए।
31.	**सम्पत्ति के विनिमय की लिखत।** (क) रक्त संबंधियों के बीच (एक ही पूर्वज से) और पति–पत्नी के बीच। (ख) रक्त संबंधियों से अन्यथा	(क) रक्त संबंधियों अथवा पति–पत्नी के बीच संपत्तियों के विनिमय के मामले में, विनिमय की गई संपत्ति के निम्नतर मूल्य का 0.1 प्रतिशत, अधिकतम दस हजार रुपये तक, के अध्यधीन; (ख) खंड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के बीच संपत्तियों के विनिमय के मामले में, विनिमय की गई संपत्ति के निम्नतर

	उद्धरण—प्रतिलिपि (संख्या 24) देखें।	मूल्य का 0.1 प्रतिशत, तथा अंतर मूल्य पर अनुच्छेद 23 के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाएगाः परंतु रक्त संबध से अन्य या पुरूष और महिला के मध्य असमान बाजार मुल्य की संपत्तियों के विनियम की दशा में, असमान मूल्य की अंतर की राशि पर, उस व्यक्ति जिसके पक्ष में उच्चतर मूल्य की संपत्ति हस्तांतरित की गई है, को अनुच्छेद 23 (हस्तांतरण) के अनुसार लागू दर पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत होगा।
32.	**अतिरिक्त भार की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत.**—जो बन्धक सम्पत्ति पर भार अधिरोपित करती है— (क) यदि, अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय सम्पत्ति का कब्जा, ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिए जाने का करार किया गया है ; (ख) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया है।	जब कब्जा दिया जाता हैः बाजार मूल्य / प्रतिफल राशि (जो भी उच्चतर हो) का 8 प्रतिशत, (न्यूनतम एक हजार रुपये)। जब कब्जा नहीं दिया जाता हैः सुरक्षित राशि का 0.1 प्रतिशत, (न्यूनतम दस हजार रुपये)।
33.	**दान की लिखत.**—जो व्यवस्थापन (संख्या 58) या वसीयत (विल) या अंतरण (संख्या 61) नहीं है। **भाड़ा सम्बंधी करार या सेवा के लिए करार.**—करार (संख्या 5) देखें।	महिलाओं के लिएः (क) एक करोड़ रुपये तक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 4 प्रतिशत । (ख) एक करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 8 प्रतिशत । न्यूनतम एक सौ रुपये तथा शुल्क को निकटतम

		10 रुपये तक पूर्णांकित के अध्यधीन। अन्य व्यक्तियों के लिए: (क) चालीस लाख रुपये तक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 6 प्रतिशत । (ख) चालीस लाख रुपये से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी हो, का 8 प्रतिशत । न्यूनतम एक सौ रुपये तथा शुल्क निकटतम 10 रुपये पूर्णांकित के अध्यधीन। संपत्ति के एक करोड़ रुपये तक के बाजार मूल्य पर महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत तथा चालीस लाख रुपये तक के बाजार मूल्य पर अन्य व्यक्तियों के लिए 6 प्रतिशत और क्रमशः एक करोड़ रुपये अथवा चालीस लाख रुपये से अधिक के बाजार मूल्य पर सभी के लिए 8% स्टाम्प शुल्क देय होगा। न्यूनतम एक सौ रुपये तथा शुल्क निकटतम 10 रुपये तक पूर्णांकित के अध्याधीनः परंतु यह कि, यदि एक वर्ष के भीतर वही दाता और आदाता ऐसे दान विलेख के रजिस्ट्रकरण के लिए आवेदन करते हैं, जिसका बाजार मूल्य, पूर्ववर्ती विलेखों को सम्मिलित कर, यथास्थिति, एक करोड़ रुपये या चालीस लाख रुपये से अधिक हो जाता है तो पूर्व

		के मामलों सहित सभी मामलों में 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाएगा। परन्तु यह और कि उस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए न्यूनतम पांच हजार और अधिकतम दस हजार रुपए के अध्यधीन रक्त संबधियों (एक ही पूर्वज से) और पति–पत्नी के बीच अंतरित संपत्ति के बाजार मूल्य, 0.1 प्रतिशत शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
34.	**क्षतिपूर्ति बंधपत्र.–** प्रत्येक मामले में। **निरीक्षकत्व**–विलेख–प्रशमन विलेख (संख्या 21) देखें।	एक हज़ार रुपए।
35.	**पट्टा.**–जिस के अंतर्गत अवर–पट्टा या उप–पट्टा तथा पट्टे या उप–पट्टे पर देने के लिए कोई करार है– (क) जहां पट्टा एक सौ वर्ष या एक सौ वर्ष से अधिक तात्पर्यित हो ;	पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य का 8 प्रतिशत न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन शुल्क के निकटतम 10 रुपये में पूर्णांकित । पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की गणना का सूत्रः– 8% × बाजार मूल्य × (पट्टे की अवधि)/100 परंतु यह कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन रहां राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के पट्टे की अनुमति प्रदान की जाती है, वहां न्यूनतम एक सौ रुपए और शुल्क दस रुपए तक पूर्णांकित के अध्यधीन, संपत्ति के बजार मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया

			जाएगा। इस उपबंध के अधीन अनुमति के ऐसे मामलों में सटाम्प शुल्क की गणना का सूत्रः 12% × बाजार मूल्य × (पट्टे की अवधि) / 100
		(ख) जहां पट्टा शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है तथा किसी नियत निबंधन और समय के लिए तात्पर्यित नहीं है।	पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य या पट्टे की पूर्ण रकम जो ऐसे पट्टे के अधीन संदत्त या परिदत्त करनी हो, यदि कोई हो, "जो भी उच्चतर हो", का 8.00 प्रतिशत, न्यूनतम एक सौ रुपए और शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित के अध्यधीन। पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की गणना का सूत्रः स्टाम्प शुल्क = 8% × बाजार मूल्य × (पट्टे की अवधि) /100
		छूट खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजन के लिए पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है), जो कोई नजराना या प्रीमियम दिए बिना या परिदत्त किए बिना निष्पादित किया गया है और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक, एक सौ रुपए से अधिक नहीं है। इस छूट में खेती के प्रयोजन के लिए पट्टा में वासभूमि या टैंक सहित, खेती के लिए भूमि का पट्टा भी सम्मिलित होगा। **स्पष्टीकरण**—जब पट्टाधारी कोई आवर्ती प्रभार, जैसे सरकारी राजस्व, भू—स्वामी के उप—कर का भाग या स्वामी के नगरपालिका की दरों या करों का भाग, जो विधि द्वारा पट्टाकर्ता से वसूलीय है, संदाय करने का वचन देता है, तो इस प्रकार करार की गई रकम पट्टाधारी द्वारा संदत्त की जाएगी, जो भाटक का भाग समझी जाएगी।	परंतु यह कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन रहां राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के पट्टे की अनुमति प्रदान की जाती है, वहां न्यूनतम एक सौ रुपए और शुल्क दस रुपए तक पूर्णांकित के अध्यधीन, संपत्ति के बजार मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

	टिप्पणी **क्या भाड़े का कोई करार, पट्टा होगा,** अनुच्छेद 35 उपदर्शित करेगा कि यह केवल पट्टा ही नहीं है, जो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत है किन्तु भाड़े पर देने का कोई करार भी है। भाड़े के किसी करार का पट्टा होना आवश्यक नहीं है। यह निर्धारण करने के आशय से, कि क्या किसी दिए हुए मामले में करार की विधिमानता का अनुमान करना युक्ति–युक्त है, तो हमें यह देखना है कि क्या किसी पक्षकार ने प्रस्ताव किया है और दूसरे पक्षकार ने इसे प्रतिग्रहण कर लिया है। किसी करार को करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों का आशय निश्चित तथा सामान्य हो। यह तभी अभिप्राप्त किया जा सकता है जब करार के निबन्धन और शर्तें सुस्पष्टतया की गई हों याविवक्षित पाई गई हों।	
36.	**शेयरों का आबंटन पत्र।**	एक सौ रुपए।
37.	**प्रत्यय–पत्र।** **प्रत्याभूति–पत्र.**–करार (संख्या 5) देखें।	जैसा अनुसूची–1 में है।
38.	**अनुज्ञप्ति पत्र.**–अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलम्बित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।	एक सौ रुपए।
39.	**कम्पनी का संगम–ज्ञापन.**–	
	(क) यदि उसके साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अधीन संगम–अनुच्छेद संलग्न हो ;	एक हज़ार रुपए।
	(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो।	दो हज़ार रुपए।
	छूट किसी भी संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।	
40.	**बन्धक–विलेख.**–जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम्, या गिरवी (संख्या 6), पोत बंधपत्र (संख्या 16), फसल का बंधक (संख्या 41), जहाजी माल बन्धपत्र (संख्या 56) या प्रतिभूति बंधपत्र (संख्या 57) से सम्बन्धित करार नहीं है;	महिलाओं के लिएः
	(क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट सम्पत्ति या सम्पत्ति के किसी भाग का कब्जा बन्धककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिए जाने के लिए करार किया गया है;	(क) एक करोड़ रुपये तक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 4 प्रतिशत ।

			(ख) एक करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 8 प्रतिशत । न्यूनतम एक सौ रुपये तथा शुल्क दस रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित। अन्य व्यक्तियों के लिए: (क) चालीस लाख रुपये तक बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि, जो भी उच्चतर हो, का 6 प्रतिशत । (ख) चालीस लाख रुपये से अधिक बाजार मूल्य का 8 प्रतिशत न्यूनतम एक सौ रुपए तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित के अध्यधीन। परंतु यह कि, यदि एक वर्ष के भीतर वही बंधकदार और बंधकग्राही ऐसे बंधक विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते हैं, जिसका बाजार मूल्य या सुरक्षित राशि, इसमें पूर्व के विलेख विलेखों की राशि को सम्मिलित कर, यथास्थिति, एक करोड़ रुपये या चालीस लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो पूर्व के मामलों सहित सभी मामलों में 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
		(ख) जबकि कब्जा नहीं दिया गया है।	(क) सुरक्षित राशि का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम 1,000 रुपये के अध्यधीन। (ख) किसान क्रेडिट कार्ड

	स्पष्टीकरण.—ऐसे बन्धककर्ता के बारे में, जो बन्धकदार को बन्धकित सम्पत्ति या उसके भाग का भाटक या पट्टा—राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जाएगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है। **छूट** वे लिखतें, जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम,1884 के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे उधारों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई हैं। **टिप्पणी** **शपथपत्र वचनबंध करने को, क्या बन्धक—विलेख के रूप में प्रभारित किया जा सकेगा.**—शपथपत्र बचनबंध करने को, बन्धक—विलेख के रूप में प्रभारित करना पड़ेगा, जिसके लिए भारतीय स्टांप अधिनियम की अनुसूची—1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा विहित स्टाम्प शुल्क भुक्त होगा। अतः उक्त अधिनियम की अनुसूची—1 का अनुच्छेद 40 ही तत्काल मामले में लागू समुचित अनुच्छेद है और न कि अनुच्छेद 57.	कृषि ऋण के लिए 3 लाख रुपये तक 100 रुपये स्टाम्प शुल्क तथा 3 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर ऋण राशि का 0.1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा।
41.	**फसल का बन्धक.**—जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के बन्धक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बन्धक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो— प्रत्येक प्रतिभूत रकम के लिए।	प्रतिभूत रकम का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
42.	**नोटरी सम्बन्धी कार्य.**—अर्थात्, कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाणपत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (संख्या 50) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है। विपत्र या वचन—पत्र का प्रसाक्ष्य(संख्या 50) भी देखें।	एक सौ रुपए।
43.	**टिप्पण या ज्ञापन.**—जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे, निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है— ऐसे किसी माल या किसी स्टाक या विपण्य प्रतिभूति का।	एक सौ रुपए।

44.	**पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण।**	एक सौ रुपए।
45.	**विभाजन की लिखत.**—धारा 2(15) द्वारा यथा परिभाषित।	सम्पत्ति जिसका विभाजन हो रहा है, के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम पाँच हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
46.	**भागीदारी.**— क. भागीदारी की लिखत— भागीदारी की प्रत्येक पूंजी के लिए। ख. भागीदारी का विघटन— **पण्यम् या गिरवी**—हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार (संख्या 6) देखें।	 पाँच हजार रुपए
47.	**बीमा पालिसी।**	जैसा अनुसूची—1 में है।
48.	**धारा 2 (21) में यथापरिभाषित, मुख्तारनामा.**— जो प्रॉक्सी (संख्या 52) नहीं है— (क) जबकि वह एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को, अकेले प्रयोजन (जिसमें दावा या कार्यवाहियां भी हैं) के लिए एक ही संव्यवहार में संयुक्ततः और पृथकतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है। (ख) जबकि वह एक या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है। (ग) अन्य किसी मामले में। **स्पष्टीकरण.**—एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत उस दशा में, जिसमें वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वे एक ही व्यक्ति है।	 (क) तीन हजार रुपये। (ख) चार हजार रुपये। (ग) पाँच हजार रुपये। परंतु यह कि, यदि कोई मुख्तारनामा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य का वास्तविक निवासी नहीं है, अथवा जहां। यह हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर स्थित जगम यह स्थावर चल या अचल संपत्ति से संबंधित है, उस दशा में, यथास्थिाति, खंड क, ख और ग में यथा लागू दर के सौ गुणा के बराबर

		शुल्क प्रभारित किया जाएगा। विशेष टिप्पणी– "रजिस्ट्रीकरण" पद के अन्तर्गत भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुंषगिक प्रत्येक संक्रिया सम्मिलित है।
49.	**वचन–पत्र।**	जैसा अनुसूची–1 में है।
50.	**विनियम–पत्र या वचन–पत्र विषयक प्रसाक्ष्य.–** अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनियम–पत्र या वचन–पत्र का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है।	एक सौ रुपए।
51.	**पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति।**	जैसा अनुसूची–1 में है।
52.	**प्रॉक्सी।**	जैसा अनुसूची–1 में है।
53.	**रसीद।**	जैसा अनुसूची–1 में है।
54.	**बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण.–** प्रत्येक मामले में।	 एक हज़ार रुपए।
55.	**निर्मुक्ति.–** अर्थात् कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 23–क द्वारा उपबन्ध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है– प्रत्येक मामले में। **टिप्पणियां** **क्या निर्मुक्ति विलेख से हक का अंतरण हो सकेगा.–**किसी निर्मुक्ति विलेख द्वारा हक का अंतरण प्रभावी नहीं होगा। निर्मुक्तिविलेख से केवल हक का प्रदाय हो सकता है, किन्तु हकअन्तरित नहीं हो सकता। **त्यजन या त्याग.–**यदि अपीलकर्ता के पास, उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् सम्पदा की उत्तरजीविता के द्वारा	निर्मुक्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

	उत्तराधिकार की संभावना न होने के सिवाय, त्याग के समय पर सम्पत्ति का हक नहीं है, तो विलेख के अधीन त्यजन या त्याग उसे सम्पत्ति का कोई हक नहीं दिलाएगा। त्यजन उसी व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए, जिसका ऐसी सम्पदा पर पहले से हक था, जिसका प्रभाव केवल अधिकार को बढ़ाने का है।	
56.	**जहाजी माल बन्धपत्र.**—अर्थात्, कोई लिखत, जो उस उधार के लिए प्रतिभूति देती है, जो किसी पोत के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाक्षित है। **किसी न्यास या व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण.**—व्यवस्थापन (संख्या 58), न्यास (संख्या 63) देखें।	प्रतिभूत की गई रकम का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
57.	**प्रतिभूति—बंधपत्र या बन्धक विलेख.**—जो किन्हीं पदीय कर्त्तव्यों के सम्यक् निष्पादन क`लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पत्ति का लेखा—जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व का सम्यक् निर्वहन सुनिश्चित् करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है.— प्रत्येक मामले में। **छूटें** **(क) बन्धक या अन्य लिखित जबकि वह निष्पादित किया जाए.**—किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ किसी खैराती औषधालय; डिसपैन्सरी या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ; (ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम, 1883 या कृषक उधार अधिनियम, 1884 के अधीन अग्रिम धन लिए हैं, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में; (ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्त्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित् करने के लिए।	प्रतिभूत की गई रकम का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

	टिप्पणी **शपथ–पत्र वचनबद्ध करना–क्या बन्धक विलेख होगा.**–शपथ–पत्र वचनबद्ध बन्धक–विलेख के रूप में प्रभारित होगा, जिसको भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची–1 के अनुच्छेद 40 के अधीन यथा–विहित स्टाम्प शुल्क मुक्त करना होगा। यह कहना सही नहीं था कि शपथ–पत्र केवल वचनबद्ध दर्शाता है और यदि यह प्रभार्य था, तो यह केवल भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची–1 के अनुच्छेद 57(ख) के अधीन ही हो सकता था।	
58.	**व्यवस्थापन.–** क–व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अन्तर्गत महर विलेख है) **छूट** विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख। ख.– व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण– न्यास– (संख्या 63) भी देखें।	(1) रक्त संबंधियों अथवा पति–पत्नी के मामले में: व्यवस्थितापित संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत, न्यूनतम 2,000 रुपये तथा अधिकतम 5,000 रुपये के अध्यधीन तथा शुल्क 10 रुपये के निकटतम पूर्णांकित। (2) रक्त संबंध में न आने वाले व्यक्तियों के लिए: महिलाओं के लिए: (क) एक करोड़ रुपये तक: बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी उच्चतर हो, का 4 प्रतिशत । (ख) एक करोड़ रुपये से अधिक: बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी उच्चतर हो, का 8 प्रतिशत । न्यूनतम 100 रुपये अध्यधीन तथा शुल्क को निकटतम 10 रुपये के निकटतम तक पूर्णांकित। अन्य व्यक्तियों के लिए: (क) चालीस लाख रुपये तक: बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी उच्चतर हो, का 6 प्रतिशत ।

		(ख) चालीस लाख रुपये से अधिकः बाजार मूल्य का 8 प्रतिशत; न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन तथा शुल्क के निकटतम तक 10 रुपये पूर्णांकित।
59.	**पोत परिवहन आदेश।**	एक सौ रुपए।
60.	**पट्टे का अभ्यर्पण–** प्रत्येक मामले में। **छूट** पट्टे का अभ्यर्पण, जबकि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गई है।	 एक हजार रुपए।
61.	**अन्तरण.**–(चाहे वह प्रतिफल के सहित या बिना हो)– (क) किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों का ;	 अनुसूची–I में उल्लिखित अनुसार।
	(ख) धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां हैं, चाहे शुल्क के लिए डिबेंचर दायी हो या न हो ;	वही शुल्क जो डिबेंचर पर अंकित रकम के बराबर प्रतिफल हेतु इस अधिनियम द्वारा (संख्या 27) में उद्गृहीत है।
	(ग) किसी हित का बन्धपत्र, बन्धक–विलेख या बीमा पॉलिसी द्वारा प्रतिभूत ;	वही शुल्क जो ऐसे बंधपत्र, बंधक–विलेख या बीमा पॉलिसी पर प्रभार्य है, न्यूनतम एक सौ और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।
	(घ) महाप्रशासक अधिनियम, 1913 की धारा 25 के अधीन किसी सम्पत्ति का अंतरण;	एक सौ रुपये।
	(ङ) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को, किसी न्याय–सम्पत्ति का प्रतिफल के बिना। **छूटें** पृष्ठांकन द्वारा अंतरण– (क) विनिमय–पत्र, चैक या वचन–पत्र का ;	दो सौ रुपये।

	(ख) वहन–पत्र परिदान आदेश, माल के लिए वारण्ट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का ; (ग) बीमा पॉलिसी का ; (घ) केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का। धारा 8 भी देखें।	
62.	**पट्टे का अंतरण.**–समनुदेशन द्वारा न कि उपपट्टे द्वारा। **छूट** शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण।	वही शुल्क जो अनुच्छेद (संख्या 35) में है।
63.	**न्यास**–	
	क. की घोषणा किसी सम्पत्ति की या उसके बारे में, जबकि वसीयत (विल) से भिन्न लिखित रूप में की गई हो।	दो हजार रुपए।
	ख. का प्रतिसंहरण किसी सम्पत्ति का या उसके बारे में, जबकि वह वसीयत (विल) से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो। व्यवस्थापन (संख्या 58) भी देखें, मूल्यांकन–आंकना (संख्या 8) देखें, वकील–वकील के रूप में प्रविष्टि (संख्या 30) देखें। **टिप्पणी** **धार्मिक या पूर्त विन्यास**–क्या न्यास अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं.–धार्मिक या पूर्त विन्यास, चाहे सार्वजनिक या निजी हैं, न्यास अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आते हैं। स्टाम्प अधिनियम का अनुच्छेद 64, न्यास पर स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण का उपबन्ध करता है। तद्नुसार, उस मामले में लागू नहीं किया जा सकता जो पूर्त न्यासों का निपटारा करते हैं।	पाँच सौ रुपए।
64.	**माल के लिए वारण्ट.**–अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की सम्पत्ति के हक का साक्ष्य है, जो किसी डाक, भाण्डागार या घाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है।	एक हजार रुपए।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन प्रभार्य विभिन्न लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरों को हस्तांतरण / विक्रय, कब्जे सहित बंधक तथा दान के सिवाय, बहुत समय पूर्व संशोधित किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों में शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उक्त दरों का पुनरीक्षित किया जाना समीचीन हो गया है। अधिकांश लिखतों के संबंध में शुल्क की दरों का दीर्घकाल से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त,

अनुसूची में अनेक संशोधन किए जा चुके हैं, अतः किसी प्रकार की भ्रांति से बचने के लिए अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में इसके लागू होने के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 से संलग्न विद्यमान अनुसूची 1–क को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः

तारीख.................2026

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2026.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH SECOND AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Substitution of Schedule 1-A.

Bill No. 12 of 2026.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH SECOND AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No.2 of 1899) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Second Amendment) Act, 2026.

2. Substitution of Schedule I-A.—In the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Himachal Pradesh, for Schedule I-A annexed to the said Act, the following Schedule I-A shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE I-A

RATES OF STAMP DUTY ON CERTAIN INSTRUMENTS

Note.—The Articles in Schedule I-A are numbered so as to correspond with similar Articles in Schedule I, of the Indian Stamp Act, 1899.

Art. No.	Description of Instrument	Rates of Stamp Duty
1.	**Acknowledgement of a debt.**— exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt, in any book (other than a Banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession: Provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debtor any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.	Ten rupees for value up to rupees one thousand and one hundred rupees for value above rupees one thousand.
2.	**Administration Bond.**—including a bond given under section 6, of the Government Savings Bank Act, 1873, or section 29, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925- in every case.	One hundered rupees for a bond of value up to rupees one thousand, and three percent of the value of the bond where the amount exceeds rupees one thousand, plus one hundred rupees.
3.	**Adoption-Deed.**—that is to say, any instrument (other than a Will), recording an adoption, or conferring or purporting to confer an authority to adopt. **Advocate-** *See* Entry as an Advocate (No. 30)	Two thousand rupees.
4.	**Affidavit.**—including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed affirming or declaring instead of swearing. *Exemptions* Affidavit of declaration in writing when made— (a) as a condition or enrolment under the Army	Hundred rupees.

	Act, 1950; or Air Force Act, 1950; (b) for the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer of any Court; or (c) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.	
5.	**Agreement or Memorandum of an Agreement.**—if relating to the sale of a bill of exchange or sale of a government security or share in any incorporated company or other body corporate or not otherwise provided for. *Exemptions* Agreement or memorandum of agreement— (a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 43; (b) made in the form of tenders to the Central Government for or relating to any loan. **Agreement to Lease**— *See* Lease (No. 35).	a) One hundred rupees for agreements relating to sale of a bill of exchange. b) Two percent of the market value subject to a maximum of rupees ten thousand, for agreements relating to construction of a building (development agreement); c) one thousand rupees; and two percent of the market value for sale of immovable property (agreement to sell), adjustable towards stamp duty at the time of conveyance; d) Two hundred rupees for agreements relating to loans and financial services up to rupees fifty thousand for non-agricultural purposes. e) one thousand rupees, if not otherwise provided for.
6.	**Agreement relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge.**—that is to say any instrument evidencing an agreement relating to-	

	deposit of title-deeds or instrument constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) or the pawn or pledge of movable property (where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt. *Exemption* Instrument of pawn or pledge of goods if unattested. **Comments** **An agreement of hypothecation and question of stamp duty.**—There is distinction between a transaction of hypothecation and a transaction of pledge. Because unlike a pledge where the possession of the goods pledged must pass on to the pawnee, no such possession passes on to the creditor in case of hypothecation. As the document in the present case, sought to create two rights in favour of the Bank, i.e. one pertaining to hypothecation of the property and the other pertaining to creation of attorneyship a total stamp of Rs. 11.50 was chargeable to in respect of the document under Sec. 5 of the Stamp Act. Thus the document has been duly stamped being neither a pledge nor a pawn but an agreement of hypothecation covered by Cl. (*e*) of Art. 5 of Schedule-I to the Stamp Act with a covenant to confer rights of an attorney of the defendant on the plaintiff. **Deed of Pawn or Pledge.**—There is no dispute between the parties, and rightly so, because even on a plain reading of Cl. 6 of the agreement it transpires that the possession of the goods hypothecated was to remain with the debtor itself. That being so, this deed cannot be held to be a deed of pawn or pledge so as to attract the mischief of Art. 6(2) of Schedule-I to the Stamp Act.	a) One hundred rupees for amounts up to twenty thousand rupees. b) Five hundred rupees for amounts above twenty thousand rupees.
7.	**Appointment in execution of a Power.**—whether of trustees or of property movable or immovable, where made by any writing not being a Will.	One thousand rupees.
8.	**Appraisement or Valuation.**—made otherwise than under an order of the Court in the course of a	

	suit.— in every case. *Exemptions* (a) Appraisement or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or of operation of law. (b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.	 a) One hundred rupees where the amount does not exceed rupees one thousand. b) Five hundred rupees in any other case.
9.	**Apprenticeship-Deed.—**including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being articles of clerkship (No. 11). *Exemption* Instruments of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1850, or by which a person is apprenticed by or at the charge of, any public charity.	As in Schedule-I.
10.	**Articles of Association of a Company.—** in every case. *Exemption* Articles of any Association not formed for profit and registered under section 8 of the Companies	 a) Two thousand rupees where the company has no share capital. b) 0.2% of the share capital, subject to a minimum of rupees two thousand and a maximum of rupees five lakh, where the company has nominal share capital or increases the share capital.

	Act, 2013. *See* also Memorandum of Association of a Company (No. 39).	
11.	**Articles of Clerkship.—** **Assignment—***See* Conveyance (No. 22) Transfer (No. 61) and Transfer of Lease (No. 62), as the case may be. **Attorney—***See* Entry as an Attorney (No. 30), and Power of Attorney (No. 48). **Authority to Adopt-** *See* Adoption-Deed(No. 3).	As in Schedule-I.
12.	**Award.—**that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the court in the course of a suit.— for every amount or value of the property as set forth in such award.	 One thousand rupees.
13.	**Bill of Exchange.**	As in Schedule-I.
14.	**Bill of Lading (including a through bill of lading).**	As in Schedule-I.
15.	**Bond.—**as defined by section 2(5), not being a debenture (No. 27), and not being otherwise provided for by this Act or by the Court-fees Act, 1870. *See* Administration Bond (No.2), Bottomry Bond (No.16), Custom Bond (No.26), Indemnity Bond (No.34), Respondentia Bond (No.56), Security Bond (No.57). *Exemption* Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscription to a charitable dispensary or hospital or to any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem.	0.1% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one thousand and maximum rupees ten thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.
16.	**Bottomry Bond.—**that is to say, any instrument whereby the master of a sea-going ship borrows money on a security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.	0.1% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one thousand and maximum rupees ten thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

17.	**Cancellation.**—Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled) if attested and not otherwise provided for. *See* also Release (No. 55), Revocation of Settlement (No. 58-B), Surrender of Lease (No. 60), Revocation of Trust (No. 63).	One hundred rupees.
18.	**Certificate of Sale.**—(in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer.	8.00% of the market value of the property or to the amount of purchase money, *"whichever is higher",* subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten.
19.	**Certificate or other Document.**—evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.	One hundred rupees.
20.	**Charter Party.**—that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug steamer), whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the Charterer, whether it includes a penalty clause or not.	One hundred rupees.
21.	**Composition-Deed.**—that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors or under letters of license, for the benefit of his creditors.	One hundred rupees.
22.	**Conveyance.**—as defined by section 2(10) not being a Transfer charged or exempted under No. 61.— where the conveyance amounts to sale of immovable property. *Exemption* **Assignment of copyright**—under the Copyright Act,1957, Section 18. **Co-partnership-deed-***See* Partnership (No. 46).	For females: a) Up to Rupees one crore: 4% of the market value or consideration amount, whichever is higher. b) Above Rupees one crore: 8% of the market value or consideration

	Comments **Conveyance of Property.—**There is no difference between a case of retirement and that of dissolution. A partner stands on the same footing in relation to partnership as a co-owner. In the present case the document executed by the firm relinquishing the rights in favour of the former partner could only be a release. It was not a transfer having not been made in favour of a partner who had no interest in the property. The document executed does not transfer property; hence it was not a conveyance.	amount, whichever is higher. Subject to the minimum of Rs. One hundred and duty rounded off to the nearest Rs. Ten. For Others: (a) Up to Rupees forty lakh: 6% of the market value or consideration amount, whichever is higher. b) Above Rupees forty lakh: 8% of the market value or consideration amount, whichever is higher; (a) subject to the minimum of Rs. One hundred and duty rounded off to the nearest Rs. Ten: Provided that if within one year from the date of registration of the sale deed the same purchaser and seller apply for the registration of sale deed having market value or consideration amount more than one crore or forty lakh as the case may be including the amount of earlier deeds, eight percent stamp duty in all cases including earlier cases shall be charged: Provided further that where permission for conveyance of property

		is granted by the State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the Stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value or the consideration amount, whichever is higher, irrespective of gender, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.
23.	**Conveyance in the Nature of Part Performance.—**Contracts for the transfer of immovable property in the nature of part performance in any Union territory under section 53 A of the Transfer of Property Act, 1882.	As in Schedule-I.
24.	**Copy or Extract.—**certified to be true copy or extract, by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees, in every case. *Exemptions* (a) Copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose. (b) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.	Ten rupees.
25.	**Counterpart or Duplicate.—**of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid, for every case. *Exemption* Counterpart of any lease granted to a cultivator, when such lease is exempted from duty. **Comments** **Whether the stamp duty payable is payable on a counterpart.—**Article 25 of the First Schedule to the Indian Stamp Act simply states the stamp duty	Ten rupees.

	payable on a counterpart or on a duplicate. Hence, an unstamped counterpart can be validated by payment of proper stamp duty and penalty therefore.	
26.	**Customs-Bonds.—** in every case.	a) One hundred rupees for amounts up to rupees five thousand; b) Five hundred rupees for amounts exceeding rupees five thousand and up to rupees ten thousand; c) One thousand rupees for amounts above rupees ten thousand.
27.	**Debenture.—**(where a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable- (a) by endorsement or by a separate instrument of transfer; (b) by delivery. *Explanation*.- The term "Debenture" includes any interest coupons attached thereto, but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty. *Exemption* A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage-deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part their property to trustees for the benefit of the debenture holders; provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed. *See* also Bond (No.15) and sections 8 and 55. Declaration of any trust-*See* Trust (No.63).	 As in Schedule-I. As in Schedule-I.
28.	**Delivery Order in respect of Goods.—** **Deposit of Title-Deeds—***See* Agreement Relating to Deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge (No. 6).	One thousand rupees.

	Dissolution of Partnership—*See* Partnership (No.46).	
29.	**Divorce, Instrument of.**—that is to say, any instruments by which any person effects the dissolution of his marriage. **Dower, Instrument of.**—*See* Settlement (No. 58). **Duplicate**—*See* Counterpart (No.25).	One thousand rupees.
30.	**Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the Roll of the High Court.**— in the case of an Advocate or Vakil or an Attorney. *Exemption* Entry as an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of any High Court, when he has previously been enrolled in any other High Court.	 Two thousand rupees.
31.	**Exchange of Property, Instrument of.**— (a) between persons of blood relation (common ancestors) and between wife and husband; (b) between persons not related by blood.	a) 0.1% of the lower value of exchanged property, subject to a maximum of Rupees ten thousand, where the exchange is between blood relations or husband and wife; b) 0.1% of the lower value of exchanged property, subject to a maximum of rupees ten thousand, where the exchange is between persons other than mentioned in clause (a) and stamp duty on the differential value shall be chargeable as per Article 23: Provided that in case of an exchange of properties between a male and a female not related by blood, the Stamp duty on the

	Extract— *See* Copy (No.24).	differential amount of exchanged properties having unequal market value, shall be levied as per Article 23 (Conveyance), and at the rate applicable to the person in whose favour the property of higher value is transferred.
32.	**Further Charge, Instrument of.**—that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property (a) if at the time of execution of the instrument of further charge, the possession of the property is given or agreed to be given under such instrument; (b) if possession is not so given.	When possession is given : 8% of market value/consideration (whichever higher, minimum of rupees one thousand) When possession is not given : 0.1% of secured amount (minimum of rupees ten thousand rupees)
33.	**Gift, Instrument of.**—not being a Settlement (No. 58) or Will or Transfer (No. 61). **Hiring Agreement or Agreement for Service.**— *See* Agreement (No. 5).	For females: (a) Up to Rupees one crore: 4% of the market value or consideration amount, whichever is higher. (b) Above Rupees one crore: 8% of the market value or consideration amount, whichever is higher. Subject to the minimum of Rs. one hundred and duty rounded off to the nearest Ten rupees. For Others:

		a) Up to Rupees forty lakh: 6% of the market value or consideration amount, whichever is higher. b) Above Rupees forty lakh: 8% of the market value; subject to the minimum of Rs. One hundred and duty rounded off to the nearest Ten rupees. Four percent for women upto rupees one crore and six percent for other upto rupees forty lakh of the market value of the property and eight percent for all above rupees one crore or rupees forty lakh as the case may be for the market value to the property subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to the nearest of rupees Ten: Provided that if within one year, the same donor and donee apply for the registration of gift deed, having market value more than rupees one crore or forty Lakh, as the case may be, including the amount of the earlier deed(s), 8% stamp duty in all cases including earlier cases, shall be charged. Provided further that for the purpose of this article, 0.1% of the market value of the transferred property

		between persons of blood relation (common ancestors) and between husband and wife, subject to minimum Rupees five thousand and maximum Rupees ten thousand shall be charged.
34.	**Indemnity Bond.—** in every case. **Inspectorship-Deed—***See* Composition-Deed (No. 21).	One Thousand rupees.
35.	**Lease.—**including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sublet- (a) where the lease purports upto one hundred years or exceeding hundred years;	8% of the market value of the leased property, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten. Formula for calculating the stamp duty on Lease Deeds :- 8% × Market Value×(Period of Lease)/100. . Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten. Formula for calculating

		stamp duty on lease deeds in such cases of permission under this proviso:- 12% x market value x (period of lease)/100. .
	(b) where the lease purports in perpetuity and does not purport to be for any definite term and time.	8.00% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, "whichever is higher," subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees Ten. Formula for calculating the stamp duty on Lease Deeds :- 8% x Market Value x (Period of Lease)/100. .
	Exemption Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees. In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of lands for cultivation together with a homestead or tank. ***Explanation.***—When a lessee undertakes to pay any recurring charge such as Government revenue, the land-lords share of cesses, or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent.	Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, whichever is higher, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.

	Comments **Any agreement to let-Whether amounts to a lease.**—Article 35 would indicate that it is not only a lease which is covered by this Article, but also any agreement to let. An agreement to let need not be a lease. In order to determine whether in any given case, it is reasonable to infer the existence of agreement one has to see if one party has made an offer and the other party has accepted the same. To constitute an agreement, it is necessary that the intention of the parties must be definite and common on both. This can be achieved if the terms and conditions are expressly arrived at or could impliedly be found.	
36.	**Letter of Allotment of Shares.**	One hundred rupees.
37.	**Letter of Credit.** **Letter of Guarantee—***See* Agreement (No.5)	As in Schedule-I.
38.	**Letter of License.—**that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.	One hundred rupees.
39.	**Memorandum of Association of a Company.—** (a) if accompanied by articles of association under section 5 of the Companies Act, 2013; (b) if not so accompanied. *Exemption* Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 8 of the Companies Act, 2013.	 One thousand rupees. Two thousand rupees.
40.	**Mortgage-Deed.—**not being an agreement relating to deposit of Title-deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a crop (No. 41), Respondentia Bond, (No. 56), or Security Bond (No. 57),- (a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is	For females: a) Up to Rupees one crore: 4% of the market value or consideration amount, whichever is higher.

	given by the mortgagor or agreed to be given;	b) Above Rupees one crore: 8% of the market value or consideration amount, whichever is higher. Subject to the minimum of Rs. One Hundred and duty rounded off to the nearest rupees Ten. For Others: (a) Up to Rupees forty lakh: 6% of the market value or consideration amount, whichever is higher. b) Above Rupees forty lakh: 8% of the market value; subject to the minimum of rupees One hundred and duty rounded off to the nearest rupees Ten: Provided that if within one year, the same mortgager and mortgagee apply for the registration of mortgage deed, having market value or secured amount more than Rupees one crore or Rupees ten lakh, as the case may be, including the amount of the earlier deed (s), 8% stamp duty in all cases including earlier cases, shall be charged.
	(b) when possession is not given.	(a) 0.1% of secured amount subject to

	Explanation.— A mortgagor who gives to the mortgagee a Power-of-Attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof is deemed to give possession within the meaning of this article. *Exemption* Instrument, executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advances. **Comments** **Undertaking affidavit whether could be charged as a mortgage-deed.—**The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. Thus Art. 40 and not Art. 57 of Schedule-I to the said Act is the appropriate article applicable to the instant case.	minimum of rupees one thousand. (b) Rupees hundred for Kisan Credit Card Agriculture Loan up to rupees 3 Lakh; and loan above 3 lakh, 0.1% of the loan amount.
41.	**Mortgage of a Crop.—**including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage- for every sum secured.	 0.1% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one thousand rounded off to nearest rupees Ten.
42.	**Notarial Act.—**that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public. *See* also Protest of bill or note (No. 50).	One hundred rupees.
43.	**Note or Memorandum.—**sent by a broker or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal-	

	of any goods or of any stock or marketable security.	One hundred rupees.
44.	**Note of Protest by the Master of a Ship.**	One hundred rupees.
45.	**Partition.—**Instrument of as defined by section 2(15).	0.1% of the market value of the property being partitioned subject to the maximum of rupees Five Thousand duty rounded off to nearest rupees Ten.
46.	**Partnership.-** A. *Instrument of-* for every capital of the partnership. B. Dissolution of- **Pawn or Pledge-** *See* Agreement relating to Deposit of Title-Deed, Pawn or Pledge (No.6)	 Five thousand rupees.
47.	**Policy of Insurance.**	As in Schedule-I.
48.	**Power of Attorney.-** as defined by section 2(21), not being a Proxy (No. 52),- (a) when authorizing one or more persons to act jointly and severally in a single transaction for sole purpose (including suit or proceedings); (b) when authorizing one or more persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally; (c) in any other case.	 a) Rupees three thousand. b) Rupees four thousand. c) Rupees five thousand: Provided that where a power of attorney is executed in favour of a person who is not a bonafide resident of state of Himachal Pradesh, or where it relates to, concerns, or authorizes any act in

	Explanation.-For the purposes of this article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.	respect of movable or immovable property situated outside the State of Himachal Pradesh, the duty chargeable thereon shall be levied at a rate equivalent to one hundred times the duty applicable under clause a, b and c as the case may be. N.B.- The term "registration" includes every operation, incidental to registration under the Indian Registration Act, 1908.
49.	**Promissory Note.**	As in Schedule-I.
50.	**Protest of Bill or Note.—**that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person lawfully acting as such, attesting the dishonor of a Bill of Exchange or promissory note.	One hundred rupees.
51.	**Protest by the Master of a Ship.**	As in Schedule-I.
52.	**Proxy.**	As in Schedule-I.
53.	**Receipt.**	As in Schedule-I.
54.	**Re-Conveyance of Mortgaged Property.—** in every case	 One thousand rupees.
55.	**Release.—**that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property- in every case.	 0.1% of the market value of the released property, subject to the minimum of rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

	Comments **A release deed-whether can transfer title.**—A release deed would not be effective to transfer title. A release deed can only feed title but cannot transfer title. **Renunciation or relinquishment.**—If the appellant had no title to the property at the time of renunciation except the off-chance of succeeding by survivorship to the estate after the death of his father, the renunciation or relinquishment under the deed would not clothe him with any title to the property. Renunciation must be in favour of a person, who had already title to the estate, the effect of which is only to enlarge the right.	
56.	**Respondentia Bond.**—that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination. **Revocation of any Trust or Settlement**—*See* Settlement (No.58) trust (No.63).	0.1% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.
57.	**Security-Bond or Mortgage Deed.**—executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability- in every case. *Exemptions* Bond or other instrument when executed- (a) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall not be less than a specified sum per mensem; (b) by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the	 0.1% of the secured amount, subject to the minimum of rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.

	Agriculturist's Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances; (c) by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office, or the due accounting for money or other property received by virtue thereof. **Comments** **Undertaking affidavit-Whether amounts to a mortgage deed.—**The undertaking affidavit has to be charged as a mortgage deed, which has to suffer stamp duty as prescribed under Art. 40 of Schedule-I to the Indian Stamp Act. It was not correct to say that the affidavit merely disclosed an undertaking and if at all it was chargeable it could be only under Art. 57 (*b)* of Schedule-I of the Indian Stamp Act.	
58.	**Settlement.—** A-Instrument of (including a deed of dower).	(1) In case of person having blood relation or husband and wife, 0.1% of the market value of the settled property, subject to minimum of rupees two thousand and maximum rupees five thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten. (2) For persons not in blood relation: For females: a) Up to Rupees one crore: 4% of the market value or consideration amount, whichever is higher. b) Above Rupees one crore: 8% of the market value or consideration

	Exemption Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans. B-Revocation of- *See* also Trust (No. 63).	amount whichever is higher. Subject to the minimum of Rs. One hundred and duty rounded off to the nearest rupees Ten. For Others: a) Up to rupees forty lakh: 6% of the market value or consideration amount, whichever is higher. b) Above rupees forty lakh: 8% of the market value; Subject to the minimum of rupees One hundred and duty rounded off to the nearest rupees. Ten:
59.	**Shipping Order.**	One hundred rupees.
60.	**Surrender of Lease.—** in every case. *Exemption* Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.	 One thousand rupees.
61.	**Transfer.—**(whether with or without consideration)- (a) of shares in an incorporated company or other body corporate; (b) of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8;	 As in Schedule-I. The same duty as Debenture (No.27) as levied by this Act, for a consideration equal to the face amount of the debenture.

	(c) of any interest secured by a bond, mortgage-deed or policy of insurance;	The same duty with which such bond, mortgage-deed or policy of insurance is chargeable subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to nearest rupees Ten.
	(d) of any property under the Administrator-General's Act, 1913, Section 25;	One hundred rupees.
	(e) of any trust-property without consideration from one trustee to another trustee, or from a trustee to a beneficiary. *Exemptions* Transfers by endorsement- (a) of a bill of exchange, promissory note; (b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods, or other mercantile document of title to goods; (c) of a policy of insurance; (d) of securities of the Central Government. *See* also Section 8.	Two hundred rupees.
62.	**Transfer of Lease.—**by way of assignment, and not by way of under lease. *Exemption* Transfer of any lease exempt form duty.	The same duty as Article (No. 35)
63.	**Trust.—**	
	A. Declaration of-of, or concerning any property when made by any writing not being a Will;	Two thousand rupees.
	B. Revocation of-of, or concerning any property when made by any instrument other than a Will. *See* also Settlement (No. 58), Valuation- *See*	Five hundred rupees.

	Appraisement (No. 8), Vakil-*See* Entry as Vakil (No.30). **Comments** **Religious or charitable endowment-Whether fall within the purview of the Trusts Act.—** Religious or charitable endowments, whether public or private, do not fall within the purview of the Trusts Act. Article 64 of the Stamp Act provides for the levy of stamp duty on trust. Accordingly, Art. 64 cannot be pressed into service in case which deals with charitable trusts.	
64.	**Warrant for Goods.—**sthat is to say, any instruments evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	One hundred rupees."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The rates of stamp duty for different instruments chargeable under the Indian Stamp Act were revised long way back, except for conveyance/sale, mortgage with possession and gift. In order to rationalise the duties, it has become expedient to revise the rates in the current scenario. Most of the instrument have not been revised for a long time. Moreover, since there have been many amendments to the Schedule, it seems prudent to substitute the Schedule to avoid confusion. As such, it has been decided to substitute the existing Schedule I-A appended to the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of the Himachal Pradesh.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

THE , 2026.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–25/2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)**

विधेयक 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 10) जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

———————

2026 का विधेयक संख्यांक 10.

हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

अध्याय–I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम।

अध्याय– II
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 का संशोधन

2. धारा 12–ग का संशोधन।
3. धारा 12–ङ का संशोधन।
4. धारा 21 का संशोधन।
5. धारा 28 का प्रतिस्थापन।
6. धारा 34 का प्रतिस्थापन।

अध्याय–III
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 का संशोधन

7. धारा 18 का संशोधन।
8. धारा 29 का संशोधन
9. धारा 32 का प्रतिस्थापन।
10. धारा 38 का प्रतिस्थापन।

अध्याय– IV
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 का संशोधन

11. धारा 13 का संशोधन।
12. धारा 17 का संशोधन।
13. धारा 21 का प्रतिस्थापन।
14. धारा 24 का प्रतिस्थापन।
15. धारा 25 का लोप।

अध्याय–V
हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 का संशोधन

16. धारा 19 का प्रतिस्थापन।
17. धारा 39 का प्रतिस्थापन।
18. धारा 44 का प्रतिस्थापन।

अध्याय–VI
अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 का संशोधन

19. धारा 15 का संशोधन।
20. धारा 32 का प्रतिस्थापन।
21. धारा 51 का प्रतिस्थापन।

2026 का विधेयक संख्यांक 10.

हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय संबंधी विधियों में संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

अध्याय–II
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 का संशोधन

2. **धारा 12–ग का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 12–ग में.–

(क) उप–धारा (2) में, ",विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (5) में, "विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 12–ङ का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 12–ङ की उप–धारा (2) में, ",विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 21 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 21 की उप–धारा (5) में, "परन्तु कर्मचारियों के सेवा मामलों और वित्तीय मामले पर इसके द्वारा वित्त समिति की सिफारिशों के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा" शब्दों का लोप किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(5–क) वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा जो उसके पश्चात् उन्हें अपनी सिफारिशों सहित विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।"।

5. **धारा 28 का प्रतिस्थापन.**——हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"**28. वित्त समिति.**– (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा–शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

(4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों को धारा 21 की उप–धारा के (5क) के अनुसार कार्रवाई के लिए परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी"।

6. **धारा 34 का प्रतिस्थापन.**——हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"**34. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति,**–(1)इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।

(3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।"।

अध्याय–III
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 का संशोधन

7. धारा 18 का संशोधन.–– सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 18 में.–

(क) उप–धारा (2) में, ",विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (5) में, "विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे;

8. धारा 29 का संशोधन.–– सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश की धारा 29 की उप–धारा (5) में, "परन्तु कर्मचारियों के सेवा मामलों और वित्तीय मामले पर इसके द्वारा वित्त समिति की सिफारिशों के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा" शब्दों का लोप किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :–

"(5–क) वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा जो उसके पश्चात् उन्हें अपनी सिफारिशों सहित विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।"।

9. धारा 32 का प्रतिस्थापन.––सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"32. वित्त समिति.–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा–शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

(4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों की धारा 29 की उप–धारा (5क) के अनुसार कार्रवाई के लिए कार्यकारी परिषद् के प्रस्तुत करेगी।''।

10. धारा 38 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"38. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति,–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।

(3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।

अध्याय–IV
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 का संशोधन

11. धारा 13 का संशोधन.–– हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13 की उपधारा (3) में, ",विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे।

12. धारा 17 का संशोधन.–– हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 17 में,–

(क) उप–धारा (1) में, ", वित्त समिति" चिह्न एवं शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) उप–धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(क) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु, अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अनुसार, अध्ययन विद्यालय (स्कूल ऑफ स्टडीज) या विभागों या केन्द्रों या विशिष्ट प्रयोगशालाओं या महाविद्यालयों की स्थापना करना;

(ख) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों का संस्थापन करना;

(ग) परिनियमों का निर्माण, संशोधन या निरसन करना तथा सभी नियमों और विनियमों का अनुमोदन करना;

(घ) अध्यादेशों पर विचार करना, उनमें संशोधन करना तथा उनका अनुमोदन या निरसन करना;

(ङ) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक विवरण एवं लेखाओं तथा वार्षिक बजट पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;

(च) वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें अपनी सिफारिशों सहित विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(छ) विश्वविद्यालय की चल, अचल तथा बौद्धिक संपत्ति को स्वीकार करना, अंतरित करना तथा अन्यथा उसका नियंत्रण करना;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए, यथास्थिति, अंशदायी भविष्य निधि या सामान्य भविष्य निधि स्थापित करना तथा उसका अनुमोदन करना;

(झ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा की आकृति तथा उसके उपयोग के संबंध में विनिश्चय करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए आवश्यक ऐसी समितियां नियुक्त करना, जैसी अपेक्षित हों;

(ट) अपनी किसी शक्ति को कुलपति, कुलसचिव, संकायाध्यक्षों या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी अथवा प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को प्रत्यायोजित करना; और

(ठ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या उनके अधीन उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।''।

13. धारा 21 का प्रतिस्थापन.——हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"21. वित्त समिति.–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा–शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

(4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों को धारा 17 की उप–धारा 2 के अनुसार कार्रवाई के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

14. धारा 24 का प्रतिस्थापन.——हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"24. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति,–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।

(3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।"।

15. धारा 25 का लोप.––हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 25 का लोप किया जाएगा।

अध्याय– V
हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 का संशोधन

16. धारा 19 का प्रतिस्थापन.––हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"**19. वित्त समिति.**–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा–शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

(4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों को प्रबन्धन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।''।

(5) वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा जो उन्हें तत्पश्चात् राज्य सरकार के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिशों सहित प्रस्तुत करेगा।

17. धारा 39 का प्रतिस्थापन.––हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"**39. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति,**–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।

(3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।"।

18. धारा 44 का प्रतिस्थापन.––हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योनिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"**44. विश्वविद्यालय निधि.**–(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे "विश्वविद्यालय निधि" कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :–

(क) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई अंशदान, अनुदान या ऋण;

(ख) शुल्क और अन्य प्रभारों से प्राप्त आय सहित सभी स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(ग) वसीयत, दान, उपहार, न्यास–निधियों तथा अन्य अनुदानों, यदि कोई हों, के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) विश्वविद्यालय की सभी निधियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति से निवेशित की जाएंगी, जैसा कि कुलपति द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा, जिसमें इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा विश्वविद्यालय की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय भी सम्मिलित होंगे।"।

अध्याय–VI

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 का संशोधन

19. धारा 15 का संशोधन.–– अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 15 की उप–धारा (4) में, "और वित्त समिति" और "वित्त समिति" शब्दों का लोप किया जाएगा।

20. धारा 32 का प्रतिस्थापन.–– अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"**32. वित्त समिति.**–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा–शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

(4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों को प्रबन्धन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी''।

(5) वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा जो उन्हें तत्पश्चात् राज्य सरकार के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिशों सहित प्रस्तुत करेगा।

21. धारा 51 का प्रतिस्थापन.––अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 51 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"**51. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.**–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।

(3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।"।

उद्देश्य और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए पृथक–पृथक अधिनियमों के अधीन विभिन्न राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। इन विश्वविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक, अनुसंधान संबंधी तथा प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता–अनुदान के माध्यम से पर्याप्त वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। समय–समय पर, उनके शासन और प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं।

तथापि, वित्तीय कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासन के अभाव के कुछ मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं। अतः राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तीय शासन–तंत्र को अधिक सुदृढ़ करना तथा उसमें अधिक प्रभावी वित्तीय पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य यह उपबंध करना है कि प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी तथा वित्तीय निहितार्थ वाले सभी मामले, जिनमें पदों का सृजन, उन्नयन और उन्हें भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण या उनमें संशोधन, वित्तीय निहितार्थ वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सेवा–शर्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित है, वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे। वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद् या बोर्ड, विचार करेगा और तत्पश्चात् उन्हें अपनी सिफारिशों सहित सरकार के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

विधेयक का उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा योग्यता–आधारित चयन सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए यह उपबंध किया जाना प्रस्तावित है कि ऐसी नियुक्तियां, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से, लागू विधियों के अनुसार की जाएंगी।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करना, संस्थागत शासन में सुधार करना, लोक निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना तथा राज्य विश्वविद्यालयों में एक पारदर्शी और विश्वसनीय भर्ती प्रणाली स्थापित करना है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू),
मुख्यमंत्री

शिमला :
तारीख : , 2026

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 10 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. Short title.

CHAPTER-II

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY ACT, 1970

2. Amendment of section 12-C.
3. Amendment of section 12-E.
4. Amendment of section 21.
5. Substitution of section 28.
6. Substitution of section 34.

CHAPTER-III

AMENDMENTS TO THE SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI, HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2021

7. Amendment of section 18.
8. Amendment of section 29.
9. Substitution of section 32.
10. Substitution of section 38.

CHAPTER-IV

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2014

11. Amendment of section 13.
12. Amendment of section 17.
13. Substitution of section 21.
14. Substitution of section 24.
15. Omission of section 25.

CHAPTER-V

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY ACT, 1986

16. Substitution of section 19.
17. Substitution of section 39.
18. Substitution of section 44.

CHAPTER-VI

AMENDMENTS TO THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH ACT, 2017

19. Amendment of section 15.
20. Substitution of section 32.
21. Substitution of section 51.

BILL NO. 10 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the State Universities Laws of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2026 .

CHAPTER-II

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY ACT, 1970

2. Amendment of section 12-C.—In section 12-C of the Himachal Pradesh University Act, 1970,-

(a) in sub-section (2), for the sign and words ", the Academic Council and the Finance Committee", the words "and the Academic Council" shall be substituted; and

(b) in sub-section (5), for the sign and words ", the Academic Council and the Finance Committee", the words " and the Academic Council" shall be substituted.

3. Amendment of section 12-E.— In section 12-E of the Himachal Pradesh University Act, 1970, in sub-section (2), for the sign and words ", the Academic Council and the Finance Committee", the words "and the Academic Council" shall be substituted.

4. Amendment of section 21.—In section 21 of the Himachal Pradesh University Act, 1970, in sub-section (5), the words and sign "but the service matters of employees and financial matters, may be considered by it after recommendations of the Finance Committee", shall be omitted and thereafter, the following shall be inserted, namely:—

"(5A) The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Executive Council, which shall thereafter submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval.**"**.

5. Substitution of section 28.—For section 28 of the Himachal Pradesh University Act, 1970, the following shall be substituted, namely:—

"28. Finance Committee.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

(2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.

(3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.

(4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Executive Council for taking action in accordance with sub-section (5A) of section 21.".

6. Substitution of section 34.—For section 34 of the Himachal Pradesh University Act, 1970, the following shall be substituted, namely:—

"34. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder,

all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

(2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.

(3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.

(4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.".

CHAPTER-III

AMENDMENTS TO THE SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI, HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2021

7. Amendment of section 18.—In section 18 of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021,—

(a) in sub-section (2), for the sign and words ", the Academic Council and the Finance Committee", the words "and the Academic Council" shall be substituted; and

(b) in sub-section (5), for the sign and words ", the Academic Council and the Finance Committee", the words " and the Academic Council" shall be substituted.

8. Amendment of section 29.—In section 29 of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021, in sub-section (5), the words and sign "but the service matters of employees and financial matters, may be considered by it after recommendations of the Finance Committee" shall be omitted and thereafter, the following shall be inserted, namely:—

"(5A) The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Executive Council, which shall thereafter submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval.**"**.

9. Substitution of section 32.—For section 32 of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021, the following shall be substituted, namely:—

"32. Finance Committee.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

(2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.

(3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.

(4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Executive Council for taking action in accordance with sub-section (5A) of section 29.".

10. Substitution of section 38.—For section 38 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"38. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

(2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.

(3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.

(4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.".

CHAPTER-IV

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2014

11. Amendment of section 13.—In section 13 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, in sub-section (3), for the sign and words ", the Academic Council and the Finance Committee", the words " and the Academic Council" shall be substituted.

12. Amendment of section 17.—In section 17 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014,—

(a) in sub-section (1), the sign and words ", the Finance Committee" shall be omitted; and

(b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Without prejudice to the provisions of sub- section (1) the Board shall have the following powers and functions, namely :—

(a) to create School of Studies or Departments or Centres or Specialised Laboratories or Colleges as may be specified in the Ordinances for running various academic programmes;

(b) to institute courses of study in the University;

(c) to make, modify or repeal the statutes and approve all rules and regulations;

(d) to consider, modify and approve or cancel the Ordinances;

(e) to consider and approve the Annual Report, Annual Statement and Accounts, and the Annual Budget of the University;

(f) to consider the recommendations of the Finance Committee and submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval;

(g) to accept, transfer and otherwise control the moveable, immoveable and intellectual property of the University;

(h) to institute and approve Contributory Provident Fund or General Provident Fund for the benefit of Officers, Teachers and employees of the University as the case may be;

(i) to decide upon the form and use of common seal of the University;

(j) to appoint such Committees as may be required for the efficient functioning of the University;

(k) to delegate any of the powers to the Vice-Chancellor, Registrar, Deans or any other Officer, employee or any Authority of the University or to a Committee appointed by it; and

(l) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by or under this Act or the regulations for achieving the objects of the University.".

13. Substitution of section 21.—For section 21 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, the following shall be substituted, namely:—

"**21. Finance Committee.**— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

(2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.

(3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.

(4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Board far taking action in accordance with sub-section (2) of section 17.".

14. Substitution of section 24.—For section 24 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, the following shall be substituted, namely:—

"24. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

(2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.

(3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.

(4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.".

15. Omission of section 25.—Section 25 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, shall be omitted.

CHAPTER-V

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY ACT, 1986

16. Substitution of section 19.— For section 19 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, the following section shall be substituted, namely:—

"19. Finance Committee.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

(2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.

(3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts,

framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.

(4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Board.

(5) The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Board, which shall thereafter submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval.".

17. Substitution of section 39.—For section 39 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, the following shall be substituted, namely:—

"**39. Appointment of teachers and other employees.**—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

(2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.

(3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.

(4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.".

18. Substitution of section 44.—For section 44 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, the following shall be substituted, namely:—

"**44. The University Fund.**— (1) The University shall establish a fund to be called the University Fund to which shall be credited:—

(a) any contribution or grant or loan received from the State Government and the Central Government;

(b) the income of the University from all sources including income from fees and other charges;

(c) all moneys received by the University by way of bequest, donations, gifts, endowments and other grants, if any;

(d) all moneys received by the University in any other manner or from any other source.

(2) All funds of the University shall be deposited in such banks or invested in such manner as decided by the Vice-Chancellor.

(3) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Act.".

CHAPTER-VI

AMENDMENTS TO THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH ACT, 2017

19. Amendment of section 15.—In section 15 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, in sub-section (4), the words "and the Finance Commitee", and the words "Finnance Commitee" shall be omitted.

20. Substitution of section 32.—For section 32 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, the following shall be substituted, namely:—

"32. Finance Committee.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

(2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.

(3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.

(4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Board of Managment.

(5) The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Board of Managment, which shall thereafter submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval.".

21. Substitution of section 51.—For section 51 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, the following shall be substituted, namely:—

"51. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

(2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.

(3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.

(4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of Himachal Pradesh has established various State Universities under separate enactments to promote higher education, research, innovation and dissemination of knowledge. These Universities are substantially funded by the State Government through Grant-in-Aid for carrying out their academic, research and administrative activities. From time to time, amendments have been made in the respective enactments to strengthen their governance and administration.

Certain instances of financial mismanagement and lack of financial discipline have, however, come to the notice of the Government. It has, therefore, become necessary to strengthen the financial governance framework of the State Universities by providing greater financial oversight and accountability. The Bill seeks to provide that the Finance Committee of every State University shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government and that all matters involving financial implications including creation, upgradation and filling up of posts, framing or amendment of recruitment and promotion rules, revision of pay, allowances and other service conditions of employees having financial implications, shall be placed before the Finance Committee. The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Executive Council or the Board, as the case may be, which shall thereafter submit the same, alongwith its recommendations to the Government for consideration and approval.

The Bill further seeks to ensure fairness, transparency and merit-based selection in the recruitment of teaching and non-teaching staff of the State Universities by providing that such appointments shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission and the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, as the case may be, in accordance with the applicable laws.

The proposed amendments are intended to strengthen financial discipline, improve institutional governance, ensure proper utilization of public funds and establish a transparent and credible recruitment system in the State Universities.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA
THE , 2026

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री घिन्द्रो पुत्र श्री देवी चन्द, गांव सगुआ, डाकघर मसरूंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6072/2026, दिनांक 05–08–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/21938, दिनांक 24–07–2026, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) आधार कार्ड, (5) परिवार रजिस्टर नकल, जिसमें आवेदक श्री घिन्द्रो पुत्र श्री देवी चन्द, गांव सगुआ, डाकघर मसरूंड ग्राम पंचायत मसरूंड उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्ही कारणो से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः स्वरुप पंचायत जन्म रजिस्टर में आवेदक श्री घन्द्रो पुत्र श्री देवी चन्द, गांव सगुआ, डाकघर मसरूंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 24–07–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री घिन्द्रो पुत्र श्री देवी चन्द, गांव सगुआ, डाकघर मसरूंड, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 21–12–1968 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री घिन्द्रो पुत्र श्री देवी चन्द, गांव सगुआ, डाकघर मसरूंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरूंड पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रविन्द्री कुमारी पुत्री श्री भोईया राम, गांव खबर, डाकघर कोटी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 62982026, दिनांक 20–08–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/26492, दिनांक 07–08–2026, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) आधार कार्ड, (5) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका श्रीमती रविन्द्री कुमारी पुत्री श्री भोईया राम, गांव खबर, डाकघर कोटी ग्राम पंचायत प्रहानवीं उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्ही कारणो से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः स्वरुप पंचायत जन्म रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती रविन्द्री कुमारी पुत्री श्री भोईया राम, गांव खबर, डाकघर कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 07–08–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रविन्द्री कुमारी पुत्री श्री भोईया राम, गांव खबर, डाकघर कोटी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 06–01–1971 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती रविन्द्री कुमारी पुत्री श्री भोईया राम, गांव खबर, डाकघर कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवीं को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री नर सिंह, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

.. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.——मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6280/2026, दिनांक 19–08–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/28523, दिनांक 18–08–2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगाह देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्य प्रमाण–पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट, जिसमें श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री नर सिंह, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की माता श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री नर सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी

की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामत पंचायत मृत्यु रजिस्टर में आवेदक की माता श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री नर सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 18–08–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री नर सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 06–12–2005 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के माध्यम से एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की माता श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री नर सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री नर सिंह, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी।

विषय.——मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6281/2026, दिनांक 19–08–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र–संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/28524, दिनांक 18–08–2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगाह देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट, जिसमें श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री नर सिंह, गांव भूमणी, डाकघर पुखरी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के भाई श्री केहर सिंह पुत्र श्री नर सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामत पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के भाई श्री केहर सिंह पुत्र श्री नर सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 18–08–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री केहर सिंह पुत्र श्री नर सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 10–09–2012 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं।

अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के माध्यम से एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के भाई श्री केहर सिंह पुत्र श्री नर सिंह, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20—08—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ज्ञान चंद निवासी गांव भटोली, डाकघर ककीरा, उप—तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.——प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ज्ञान चंद निवासी गांव भटोली, डाकघर ककीरा, उप—तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम ज्ञान चंद है। जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत ककीरा ज़रेई के परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भटोली, पटवार वृत्त ककीरा भजो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23—09—2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21—08—2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर	किस्म मुकद्दमा :	दायर तिथि :	आगामी तारीख पेशी / सुनवाई :
21 / 2026	इन्द्राज जन्म तिथि	17—08—2026	08—09—2026

श्रीमती सरोती देवी पुत्री तिडू राम, निवासी गांव व डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्रीमती सरोती देवी पुत्री तिडू राम, निवासी गांव व डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना / मुश्त्री / मुनादी।

श्रीमती सरोती देवी पुत्री तिडू राम, निवासी गांव व डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) द्वारा आवेदन पत्र शपथ पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेज़ / रिकॉर्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती सरोती देवी पुत्री तिडू राम, निवासी गांव व डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 14–03–1960 को हुआ है, जो कि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत करोट के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार मुश्त्री / मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रीमती सरोती देवी पुत्री तिडू राम, निवासी गांव व डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 14–03–1960 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 08–09–2026 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म तिथि 14–03–1960 की घटना का पंजीकरण ग्राम पंचायत करोट के रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 17–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

——————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Sunni, District Shimla, H.P.

In the matter of :

Sh. Jatin Harnot s/o sh. Naresh Kumar, r/o Village Kangri, P.O. Reog Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, the above named applicant has submitted an application through the District Registrar (Birth & Deaths)-*cum*-Chief Medical Officer, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh, *Vide* letter No. HFW-SML (MOH) B&D/Nov-2025-8392 dated 05-12-2025, before the undersigned under section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 stating therein

that the applicant Sh. Jatin Harnot was bron on 20-01-2007 but for certain reasons his birth could not be registered in the Birth and Death Register of Gram Panchayat Reog, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh. The applicant has therefore requested that the aforesaid birth details be duly registered in the official records.

Now, therefore, notice is hereby issued to the general public that if any person has any objection with regard to the registration of the above mentioned name and date of birth they may appear personally or through an authorized agent/pleader before the undersigned on or before 12-09-2026 and submit their objections if any.

In case no objections is received eithin the stipulated period the matter shall be decided *ex-parte* and no further opportunity of hearing shall be granted.

Issued today, the 12th day of August, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Sunni, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Sunni, District Shimla, H.P.

In the matter of :

Ikshit Kanwar s/o Sh. Manohar Singh, r/o Village Nadukhar, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, the above named applicant has submitted an application before me under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 stating that applicant Ikshit Kanwar s/o Sh. Manohar Singh, r/o Village Nadukhar, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) was born on 27-02-2005 but for some reason, his birth was not registered in the Birth and Death Register of Gram Panchayat Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh. The applicant has requested that above birth details be duly recorded.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the above name and date of birth they may appear personally or through an authorized agent/pleader before the undersigned on or before 12-09-2026 to present their objections.

In the event that no objections are received by the stipulated date, the matter shall be decided *ex-parte* and no further opportunity for hearing will be provided.

Issued today, the 12th day of August, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Sunni, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Sunni, District Shimla, H.P.

In the matter of :

Smt. Kanij d/o Sh. Sheru Ram, r/o V.P.O. Sunni, Teshil Sunni, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, the above named applicant has submitted an application before me under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 stating that applicant Smt. Kanij d/o Sh. Sheru Ram, r/o V.P.O. Sunni, Teshil Sunni, District Shimla (H.P.) was born on 18-06-1963 but for some reason, her birth was not registered in the Birth and Death Register of Gram Panchayat Ghrayana, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh. The applicant has requested that above birth details be duly recorded.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the above name and date of birth they may appear personally or through an authorized agent/pleader before the undersigned on or before 12-09-2026 to present their objections.

In the event that no objections are received by the stipulated date, the matter shall be decided *ex-parte* and no further opportunity for hearing will be provided.

Issued today, the 12th day of August, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Sunni, District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026

श्रीमती धन्नी पुत्री ठाकुरु, निवासी बलीवाला, डाकघर राजबन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती धन्नी पुत्री ठाकुरु, निवासी बलीवाला, डाकघर राजबन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2025–5493, दिनांक 18–08–2026 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01–07–1942 है, के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती धन्नी पुत्री ठाकुरु, निवासी बलीवाला, डाकघर राजबन की जन्म तिथि 01–07–1942, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026

श्री जीतराम पुत्र शीबाराम, निवासी सिरमौरीताल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जीतराम पुत्र शीबाराम, निवासी सिरमौरीताल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2025–5490, दिनांक 18–08–2026 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 31–12–1969 है, के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता

है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री जीतराम पुत्र शीबाराम, निवासी सिरमौरीताल की जन्म तिथि 31–12–1969, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026

श्रीमती बबीता देवी पुत्री रिखीराम, निवासी भिपटवाड, डाकघर डाण्डाआंज, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम
आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बबीता देवी पुत्री रिखीराम, निवासी भिपटवाड, डाकघर डाण्डाआंज, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2025–5075, दिनांक 10–08–2026 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05–05–1984 है, के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती बबीता देवी पुत्री रिखीराम, निवासी भिपटवाड, डाकघर डाण्डाआंज की जन्म तिथि 05–05–1984, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026

श्रीमती नजीरन पत्नी उमरदीन, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नजीरन पत्नी उमरदीन, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2025–5079, दिनांक 10–08–2026 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी माता जी जिनका नाम असगरा पत्नी रसूल दीन है की मृत्यु तथि 01–07–1985 है, को मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–09–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती असगरा पत्नी रसूलदीन, निवासी अमरकोट की मृत्यु तिथि 01–07–1985, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026

श्रीमती विजेश कुमारी पुत्री राजिन्द्र सिंह, निवासी खाली अच्छोण, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विजेश कुमारी पुत्री राजिन्द्र सिंह, निवासी खाली अच्छोण, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2025–15740, दिनांक 17–03–2026 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसकी उसकी स्वयं की जन्म तिथि 19–08–1982 है, के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 13–09–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर

अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती विजेश कुमारी पुत्री राजिन्द्र सिंह, निवासी खाली अच्छोण की जन्म तिथि 19–08–1982, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री नेतर सिंह पुत्र अजबू राम, निवासी गांव नावना, ग्राम पंचायत कांडो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.——दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नेतर सिंह पुत्र अजबू राम, निवासी गांव नावना, ग्राम पंचायत कांडो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन जिला सिरमौर के अनुमोदन सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक अपने बेटे रमन राणा की जन्म तिथि 20–09–2009 को ग्राम पंचायत कांडो भटनोल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जो भूलवश पहले दर्ज नहीं हुआ है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 22–09–2026 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के बेटे का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कांडो भटनोल विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21–08–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

YOUTH SERVICES AND SPORTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated the 5th August, 2026

No. YSS-B(2)-2/2026.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Deepak

Thakur, Water Sports Instructor, (Class-III Non-Gazetted) to the post of Senior Water Sports Instructor, (Class-I Gazetted) (Technical Services) in the pay level-16 Pay Matrix *i.e.* 48,700-1,54,300/- as per HPCS(RP) Rules, 2022 in the Directorate of Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali, Distt Kullu, H.P. on regular basis against an unreserved vacancy occurred on 07-01-26 in ABVIMAS, Manali.

As per information provided by ABVIMAS, Manali, Sh. Deepak Thakur, is presently posted in Regional Water Sports Centre Pong Dam, Distt. Kangra, H.P. Now on his promotion as Sr. Water Sports Instructor, he may be posted at the same place.

2. The above officer, on his promotion as Senior Water Sports Instructor, Class-I (Gazetted) (Technical Service) will be on probation for a period of two years from the date of his joining and will also exercise his option for fixation of pay under the provisions of FR-22 within a period of one month from the date of issuance of this notification.

By order,

PRIYANKA BASU INGTY,
Secretary (YSS).

YOUTH SERVICES AND SPORTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated the 5th August, 2026

No. YSS-B(2)-2/2026.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Narayan Dutt, Ski Instructor, (Class-III Non-Gazetted) to the post of Senior Ski Instructor, (Class-I Gazetted) (Technical Services) in the pay level-16 Pay Matrix *i.e.* 48,700-1,54,300/- as per HPCS(RP) Rules, 2022 in the Directorate of Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali, Distt Kullu, H.P. on regular basis against an unreserved vacancy occurred on 01-01-2026 in ABVIMAS, Manali.

As per information provided by ABVIMAS, Manali, Sh. Narayan Dutt, is presently posted in ABVIMAS, Manali, H.P. Now on his promotion as Sr. Water Sports Instructor, he may be posted at the same place.

2. The above officer, on his promotion as Senior Ski Instructor, Class-I (Gazetted) (Technical Service) will be on probation for a period of two years from the date of his joining and will also exercise his option for fixation of pay under the provisions of FR-22 within a period of one month from the date of issuance of this notification.

By order,

PRIYANKA BASU INGTY,
Secretary (YSS).

YOUTH SERVICES AND SPORTS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Dated the 5th August, 2026

No. YSS-B(2)-2/2026.—In continuation of this Department Notification of even number dated 05-08-2026, it is hereby clarified that in paragraph 2 of the said notification, the designation of the post mentioned as "Senior Water Sports Instructor" may be read as "Senior Ski Instructor."

All other contents of the notification shall remain unchanged.

By order,

PRIYANKA BASU INGTY,
Secretary (YSS).

YOUTH SERVICES AND SPORTS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Dated the 6th August, 2026

No. YSS-B(2)-2/2026.—In continuation of this Department Notification of even number dated 05-08-2026, it is hereby clarified that in paragraph 2 of the said notification, the place of posting mentioned as "Regional Water Sports Dam, Distt. Kangra, H.P." may be read as "Regional Water Sports Centre, Pong Dam, Distt. Kangra, H.P."

All other contents of the notification shall remain unchanged.

By order,

PRIYANKA BASU INGTY,
Secretary (YSS).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।